भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

काज़ मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh

काज़ मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh

विषय–सूची		
अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
1.2	परिभाषाएं	1-3
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि**		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप–विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय III **केंद्रीय संरक्षित संस्मारक– काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ का स्थान एवं अवस्थिति**		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	7
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:	7
3.3	संस्मारक का इतिहास	7-8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियॉ आदि)	8-9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति– स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी–कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में वर्तमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**		
4.1	वर्तमान क्षेत्रीकरण	10
4.2	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश	10
अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**		
5.1	संस्मारक की रूपरेखा योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	11-12
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र – सड़कें, फुटपाथ, आदि	12
	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	12
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	12
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	12
	5.2.8 संस्मारक तक सुसाध्यता	12
	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	12
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	13

अध्याय VI		
संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व		
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	14
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	14
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	14-15
6.4	पहचान किये जाने वाले भू–उपयोग	15
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	15
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	15
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	15
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	15
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	15-16
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	16
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	16
6.12	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना	16
6.13	प्रस्तावित भवन संबंधी मानदंड	16-17
अध्याय VII		
स्थल विशिष्ट संस्तुतियां		
7.1	स्थल विशिष्ट संस्तुतियां	18
7.2	अन्य संस्तुतियॉ	18

CONTENTS

CHAPTER I **Preliminary**		
1.1	Short title, extent and commencements	19
1.2	Definitions	19-21
CHAPTER II **Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958**		
2.1	Background of The Act	22
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	22
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	22
CHAPTER III **Location and Setting of the Centrally Protected Monument – The Kaz Main buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh**		
3.1	Location and Setting of the Monument	23-24
3.2	Protected boundary of the Monument	24
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	24
3.3	History of the Monument	24-25
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	25-26
3.5	Current Status	26
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	26
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	26
CHAPTER IV **Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans**		
4.1	Existing Zoning	27
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	27
CHAPTER V **Information as per First Schedule and Total Station Survey**		
5.1	Contour Plan	28
5.2	Analysis of surveyed data	28
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	28
	5.2.2 Description of built up area	28
	5.2.3 Description of green/open spaces	28-29
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	29
	5.2.5 Heights of building (Zone wise)	29
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	29
	5.2.7 Public amenities	29
	5.2.8 Access to monument	29
	5.2.9 Infrastructure services	29
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	30

CHAPTER VI **Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments**		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	31
6.2	Sensitivity of the Monument	31
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	31-32
6.4	Land-use to be identified	32
6.5	Archaeological heritage remains other than the protected monument	32
6.6	Cultural landscapes	32
6.7	Significant natural landscapes	32
6.8	Usage of open space and constructions	32
6.9	Traditional, historical and cultural activities	32
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	33
6.11	Traditional architecture	33
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	33
6.13	Proposed Building related parameters	33-34
CHAPTER VII **Site Specific Recommendations**		
7.1	Site Specific Recommendations	35
7.2	Other Recommendations	35

अनुलग्नक/ Annexures

अनुलग्नक Annexure–I	काज़ मैन बिल्डिंग, लखनऊ की सर्वेक्षण योजना Site plan of The Kaz Main Buildings, Lucknow	36
अनुलग्नकII Annexure–II	काज़ मैन बिल्डिंग, लखनऊ की अधिसूचना Notification of The Kaz Main Buildings, Lucknow	37-38
अनुलग्नक–III Annexure-III	काज़ मैन बिल्डिंग की योजना दर्शाने वाला एएसआई का अभिलेखीय दस्तावेज़ Archival document of ASI showing the plan of Kaz Main Buildings	39
अनुलग्नक–IV Annexure-IV	उत्तर प्रदेश शहरी योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के स्थानीय निकायों के दिशानिर्देश Local Bodies Guidelines of the Uttar Pradesh Urban Planning And Development Act-1973	40-50
अनुलग्नक–V Annexure-V	लखनऊ मास्टर प्लान–2031 Lucknow Master Plan-2031	51
अनुलग्नक–VI Annexure-VI	लखनऊ मास्टर योजना–2031 Lucknow Master Plan-2031	52
अनुलग्नक–VII Annexure–VII	संस्मारक और उसके आस–पास के क्षेत्र के चित्र Images of the monument and its surrounding	53-55

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक, **"काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश"** के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें एमिटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरल एंड प्लानिंग, एमिटी यूनिवर्सिटी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा 29.09.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20 ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित संस्मारक- **"काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश उप-विधि 2023"** के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2023 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii)इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं :-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) "पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना शामिल है

जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20 (क) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित (किया गया विनियमित क्षेत्र) अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम,1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र**, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र**, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक (डीजी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवेदन का ब्यौरा दिया गया है:

क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भवन या संरचना का स्वामी है, जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी, या जिसे बाद में महानिदेशक, एएसआई की मंजूरी के साथ बनाया गया था और जो ऐसे किसी भी भवन या संरचना की मरम्मत या नवीकरण का कार्य करना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और ऐसी भूमि पर कोई निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक- काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ का स्थान और अवस्थिति:

3.1 संस्मारक का स्थान और अवस्थिति :

संस्मारक पुराने लखनऊ के मुख्य क्षेत्र में स्थित है और यह मंसूर नगर, लखनऊ में स्थित है। इसके भौगोलिक निर्देशांक इस प्रकार हैं:

26°51'18.92"उत्तरी अक्षांश और: **80°53'45.49" पूर्वी देशांतर**

यह संस्मारक शिया तीर्थयात्रा के एक बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा है, इसके प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में रूज़ा, मकबरा, इमामबाड़ा और अन्य ऐतिहासिक संरचनाएं शामिल हैं। स्मारकों के अलावा, पुराने युग की झलक पुरानी कोठियों (निजी आवास), मैदान (खेल और जुलूस के लिए इस्तेमाल होने वाले खुले क्षेत्र), बाग (बगीचे), स्कूल और मदरसों के रूप में देखी जा सकती है।

यह संस्मारक शहर के घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित है। इसे उत्तर में काज़ मेन रोड और पश्चिम दिशा में साइड रोड से पहुँचा जा सकता है। इस स्थल में दो मुख्य इमारतें हैं जिनमें रौज़ा-ए-काज़ मेन और मस्जिद-ए-कुफ़ा के साथ-साथ चारदीवारी संरचना और प्रवेश द्वार शामिल हैं। अन्य दो संरक्षित संस्मारक अर्थात् दरगाह हज़रत अब्बास और दियानत-उद-दौला का कर्बला काज़ मुख्य इमारतों के करीब स्थित हैं।

संस्मारक का निकटतम हवाई अड्डा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो संस्मारक से 12 कि.मी. दूर है, जो भारत के सभी मेट्रो शहरों को जोड़ता है। निकटतम रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है जो संस्मारक से 5.6 कि.मी. दूर है।

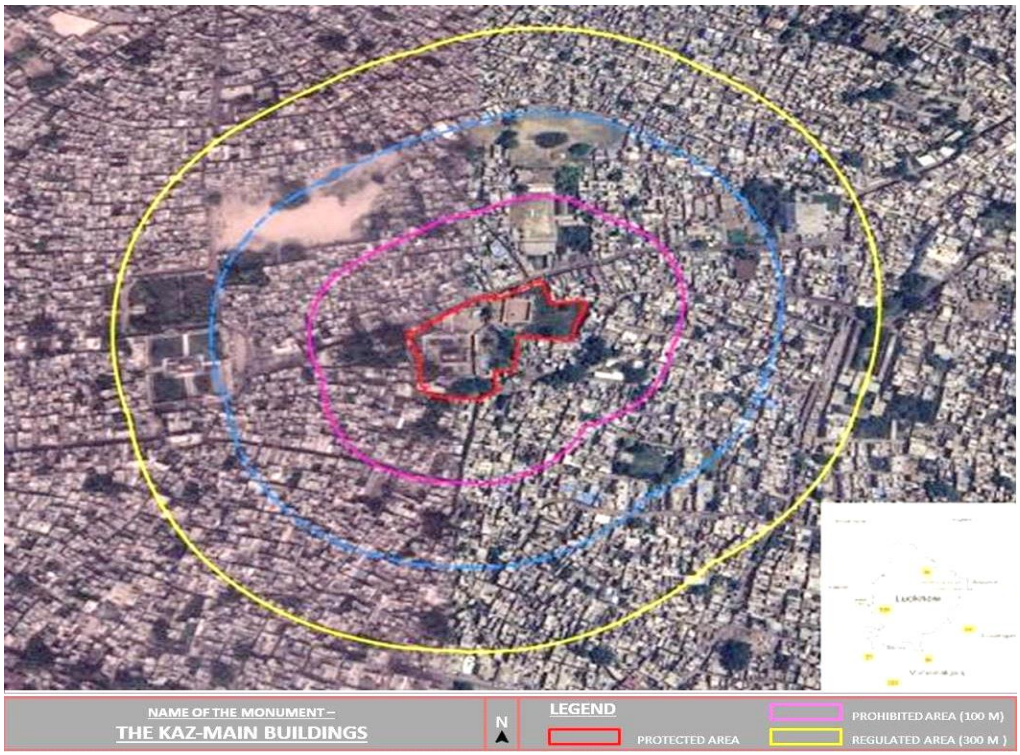

चित्र *1:* गूगल मानचित्र, लखनऊ के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सीमाओं के साथ-साथ काज़ मुख्य इमारतों का स्थान दिखा रहा है।

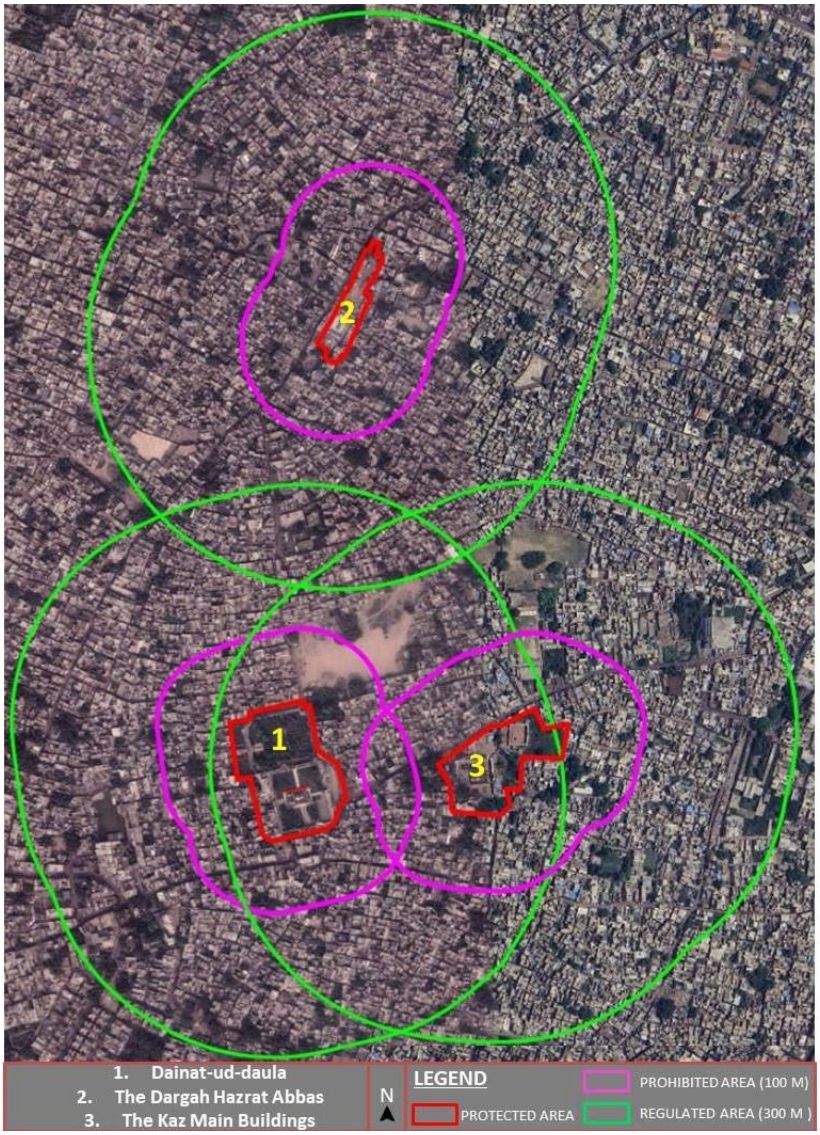

चित्र *2:* काज़-मुख्य इमारतों, लखनऊ के साथ दरगाह हज़रत अब्बास और डायनुत-उद-दौला के कर्बला की संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाएँ

3.2 संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक – काज़मैन बिल्डिंग, लखनऊ की संरक्षित सीमाएँ **अनुलग्नक-1** में देखी जा सकती हैं।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) के अभिलेख दस्तावेजों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

काज़मैन बिल्डिंग, लखनऊ की राजपत्र अधिसूचना **अनुलग्नक - II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

शहर में इमामबाड़ों की बहुतायत के कारण लखनऊ भारत की अज़ादारी राजधानी कहलाती है। प्रत्येक पवित्र शिया तीर्थस्थल की कई प्रतिकृतियां हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में अज़ादारी को आगे बढ़ाने के लिए अवध के नवाबों के प्रयासों को दर्शाती हैं। मुहम्मद के परिवार के प्रत्येक सदस्य, जिन्हें सामूहिक रूप से अहलेबैत के नाम से जाना जाता है, के पास लखनऊ में एक शबी-ए-रौज़ा (मूल तीर्थस्थलों या मकबरों की प्रतिकृति) है। लखनऊ में अहलेबैत दरगाह (शबी-ए-रौज़ा) का निर्माण न केवल नवाबों द्वारा बल्कि रईसों और लोगों द्वारा भी किया गया था। ये दरगाह उन लोगों के लिए बनाई गयी थी जो मध्य पूर्व क्षेत्र में प्राचीन तीर्थस्थलों की यात्रा नहीं कर सकते थे।'

लखनऊ में काज मैन में दो रौज़ा (प्रतिकृतियां) हैं। कर्बला आगा मीर या कर्बला मोआता-मुद-दौला, नरही, लखनऊ, पहला रौज़ा-ए-काज मैन है। सैय्यद मोहम्मद आगा मीर, जिन्हें 1818 में नवाब मोआता-मूद-दौला बहादुर नियुक्त किया गया था, ने इसे 1815 में बनवाया था। आगा मीर राजा गाज़ी-उद-दीन हैदर के वज़ीर थे। विद्रोह के बाद, अंग्रेजों ने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उनके सक्रिय समर्थन के बदले में शिया मुसलमानों की संपत्ति और पवित्र स्थलों को जब्त कर लिया। फरवरी 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवैध रूप से संस्मारक का स्वामित्व हासिल कर लिया।

कर्बला शराफ़-उद-दौला (काज़ीमैन बिल्डिंग) सहादत गंज का दूसरा रौज़ा-ए-काज़ मैन है। इस रौज़ा की स्थापना "जगन्नाथ अग्रवाल" एक शिया धर्मांतरित व्यक्ति ने की थी, जिन्हें राजा अमजद अली शाह द्वारा "शर्फ़-उद-दौला" की उपाधि दी गई थी। यह इमारत राजा अमजद अली शाह (अवध के चौथे राजा) के अधीन शुरू हुई और यह 1852 में राजा वाजिद अली शाह (अवध के 5वें और अंतिम राजा) के अधीन पूरी हुई।

काज़मैन पूरे दो महीने और आठ दिन के शोक की अवधि के लिए मुहर्रम संस्कार का स्थल भी है। प्रसिद्ध 8वां रबी-उल-अव्वल जुलूस भी काज़मैन में समाप्त होता है, जब भक्त विशेष रूप से गहन सीनाजनी और ज़ंजीर का मातम का आयोजन करते हैं।

3.4 संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्री, आदि):

संस्मारक में दो मुख्य इमारतें शामिल हैं जिनमें चारदीवारी संरचना और प्रवेश द्वार के साथ रौज़ा-ए-काज़ मैन और निर्दिष्ट खुले क्षेत्रों के साथ मस्जिद-ए-कुफ़ा शामिल हैं।

रौज़ा-ए-काज़ मैन

रौज़ा-ए-काज़ मैन को ईरान के खुरासान में इमाम काज़िम और मोहम्मद तकी की एक जैसी कब्रों के तौर पर वर्णित किया गया है। यह मकबरा विशाल जुड़वां गुंबदों वाले एक आंगन में केंद्रीय रूप से स्थित है। प्रांगण चारों ओर से प्रवेश द्वारों और मेहराबदार कक्षों से घिरा हुआ है, और यह एक बाहरी चारदीवारी की दीवार से घिरा हुआ है जिसमें एक प्रवेश द्वार है जिसे सदर के नाम से जाना जाता है। रौज़ा (मकबरा) एक आयताकार संरचना है जिसके बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर जरी है जो पुष्प और ज्यामितीय रूपांकनों से अलंकृत है। केंद्रीय कक्ष में परिक्रमा के लिए मार्ग है। केंद्रीय गुंबद पीतल की चादरों से ढके हुए हैं। प्रत्येक कोने पर मीनारें बनी हुई हैं।

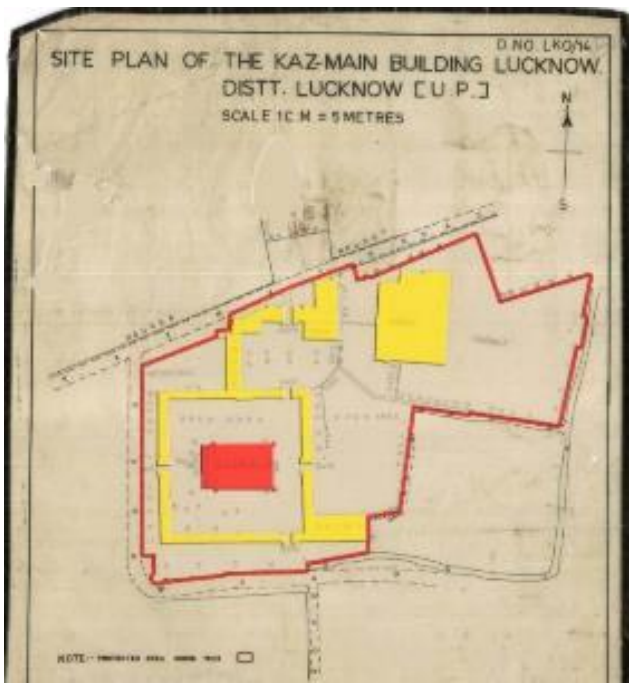

मानचित्र कोड: A1
स्थान: काज़-मुख्य इमारतें, लखनऊ
अवधि: नवाब अमजद अली शाह शासन, 1852
कार्य: समाधि
स्वामित्व: एएसआई

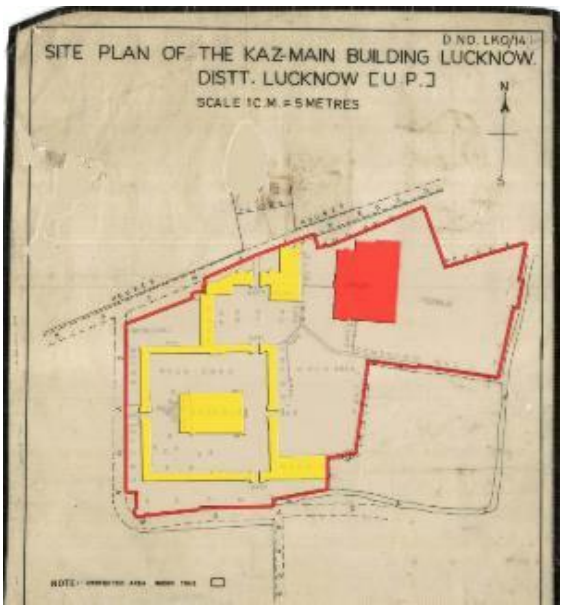

मानचित्र कोड: A2
स्थान: काज़-मुख्य इमारतें, लखनऊ
अवधि:: नवाब अमजद अली शाह शासन, 1852
समारोह: मस्जिद
स्वामित्व: एएसआई

मस्जिद-ए-कूफ़ा

मस्जिद-ए-कुफा को इराक के कूफा में स्थित महान मस्जिद कूफा की प्रतिकृति कहा जाता है। मस्जिद तक चारों तरफ बने प्रवेश द्वारों से पहुंचा जा सकता है। इसमें मेहराबदार गलियारे और केंद्रीय प्रांगण में एक कुआँ है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 संस्मारक की स्थिति-स्थिति का आकलन:

केंद्रीय संरक्षित संस्मारक (सीपीएम) और इसके संरक्षित क्षेत्र का रखरखाव और संरक्षण पूर्णत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकार क्षेत्र में आता है। संरक्षित संस्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाली तस्वीरें **अनुलग्नक-VII में संलग्न हैं**।

3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या:

वर्तमान में, संस्मारक पर आने का कोई टिकट नही लगता। इसलिए, संस्मारक पर आने वाले लोगों के संबंध में कोई रिकॉर्ड किये गये आंकडे नहीं बताये जा सकते है। हालाँकि, स्थानीय लोगों और कार्यस्थल पर अवलोकनों के आधार पर, दैनिक उपस्थिति 100-200 आगंतुकों तक सीमित बताई जाती है, जिनमें ज्यादातर स्थानीय लोग हैं। संस्मारक पर कभी-कभार होने वाली धार्मिक सभाओं (मजलिस) में आगंतुकों की संख्या बढ़कर 400-500 हो जाती है। मुहर्रम (इस्लामिक कैलेंडर का पहला और पवित्र महीना) के समय, विशेषकर मुहर्रम के दसवें दिन-आशूरा पर, आगंतुकों की संख्या काफी बढ़ जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में विद्यमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1 विद्यमान क्षेत्रीकरण:

लखनऊ मास्टर प्लान 2031, **धारा 8.11.11** के अनुसार, लखनऊ विकास क्षेत्र को 31 विनियमन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। काज़ मैन बिल्डिंग का स्थल, क्षेत्रीय आयोजना के **क्षेत्र 13** के अंतर्गत आती है। ये विनियमन क्षेत्र आम तौर पर सजातीय क्षेत्र की मुख्य सड़कों की सीमा तक ही सीमित होते हैं। मास्टर प्लान 2031 के अनुसार अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत विकास योजनाओं के प्रस्ताव अभी तैयार नहीं किए गए हैं। **(अनुलग्नक VI)**

4.2 स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश :

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) द्वारा तैयार लखनऊ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार वर्तमान स्थानीय भवन उपनियमों को **अनुलग्नक IV** में देखा जा सकता है।

अध्याय V

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकार्ड में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की प्रथम अनुसूची, नियम 21(1)/कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना

5.1 काज़ मैन बिल्डिगं, लखनऊ की सर्वेक्षण योजना:

काज़ मैन बिल्डिगं, लखनऊ की सर्वेक्षण योजना **अनुलग्नक-I** में देखी जा सकती है।

विस्तृत जानकारी **अनुलग्नक-III** में देखी जा सकती है ।

5.2 सर्वेक्षित आकंड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण और उनकी मुख्य विशेषताएं:

"काज़ मैन बिल्डिंग" के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र नीचे सूचीबद्ध हैं:

संरक्षित सीमा: **13350.579** वर्गमीटर

प्रतिषिद्ध सीमा: **83283.90049** वर्गमीटर

विनियमित सीमा: **351124.2834** वर्गमीटर

मुख्य विशेषताएं:

यह संस्मारक शिया समुदाय की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक प्रथाओं में योगदान देता है। संस्मारक की दी गई सीमाओं के भीतर और बाहर रौज़ा, मकबरा और इमामबाड़े की अन्य ऐतिहासिक संरचनाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक परिदृश्य मोहर्रम के दौरान एक तीर्थयात्रा मार्ग को दर्शाता है। इसके अलावा बागों/खुले स्थानों और सार्वजनिक भवनों से युक्त घनी आवासीय बस्ती स्थानिक विशेषताओं को और अधिक परिभाषित करती हैं।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

- उत्तर: प्रतिषिद्ध क्षेत्र में आवासीय भवन जी और जी+1 और विनियमित क्षेत्र में जी+4 तक हैं।
- उत्तर-पश्चिम: विनियमित क्षेत्र में आवासीय भवन और मिश्रित उपयोग वाली इमारतें जी, जी+1 से जी+2 हैं।
- पूर्व: संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों में सार्वजनिक और वाणिज्यिक भवन जी से जी+4 पूर्व दिशा में स्थित हैं।
- दक्षिण: संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र दोनों में आवासीय भवन जी, जी+1 से लेकर जी+2 तक स्थित हैं।
- पश्चिम: संस्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में अन्य कर्बला, मकबरा और कम ऊंचाई वाले आवासीय भवन हैं जो जी से लेकर जी+2 तक के हैं ।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

स्थल की प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के बड़े परिदृश्य में हरित और खुले क्षेत्र दिखाई देते हैं। अमरोद वली नाम का एक खुला क्षेत्र अखिल भारतीय शिया अनाथालय के खुले स्थान के साथ-साथ संस्मारक के उत्तर से उत्तर-पश्चिम के बीच में घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्र में स्थित है। उत्तर-पश्चिम दिशा में खुले स्थान पर बुनियाद बाग स्थित है। पश्चिम दिशा में कर्बला दयानूत उद दौला के परिसर में एक हरा-

भरा और खुला स्थान मौजूद है। दक्षिण और दक्षिण-पूर्व दिशा में आवासीय परिसरों और सामुदायिक पार्कों के भीतर खुले प्रांगण हैं। पूर्वी हिस्से में संस्थानों, वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों के भीतर खुले क्षेत्र शामिल हैं।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र- सड़कें, फुटपाथ आदि:

संस्मारक तक काज़ -मुख्य सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। यह आगे चलकर दो प्रमुख सड़कों - टिकैत राय रोड और तुलसीदास मार्ग से जुड़ता है संरक्षित संस्मारक की दक्षिणी और उत्तरी दिशा में सड़कों का बुनियादी ढांचा बहुत कम है। कलेक्टर सड़कें और संकरी गलियां (जिन्हें स्थानीय रूप से "गली" कहा जाता है) मुख्य मार्गीय सड़क मार्गों से जुड़ती हैं। ये छोटी सड़कें और गलियाँ मोटे तौर पर घने शहरी क्षेत्र के अंदर सीमित आवाजाही की सुविधा ही प्रदान करती हैं।

5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

- पूर्व: भवन की ऊंचाई 7 मीटर से 15 मीटर तक है।
- दक्षिण-पूर्व: भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।
- पश्चिम: भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।
- उत्तर-पश्चिम: भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।
- उत्तर: भवन की ऊंचाई 7 मीटर से 15 मीटर तक है।
- दक्षिण: भवन की ऊंचाई 4 मीटर से 9 मीटर तक है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

संस्मारक के विनियमित क्षेत्र के भीतर एक संरक्षित संस्मारक है, जिसका नाम दियानत-उद-दौला का कर्बला है। इसके अलावा, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर धरोहर निवास (कोठियां) और स्कूल भी हैं। इसके बिलकुल नजदीक एक अन्य संरक्षित संस्मारक दरगाह हज़रत अब्बास भी पड़ता है लेकिन यह विनियमित सीमा से परे स्थित है।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

संरक्षित सीमा के अंदर शौचालय और पीने के पानी की सुविधा सहित सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। दिव्यांग आगंतुकों की सुविधा के लिए रैंप, स्पर्श पथ और सुलभ शौचालय जैसे सार्वभौमिक सुसाध्यता और बाधा मुक्त वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

5.2.8 संस्मारक तक पहुंच:

काज़ मैन - मुख्य संरचनाएँ स्पष्ट रूप से पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले सादत गंज के ऐतिहासिक जिले मौहल्ला में स्थित हैं। इस केंद्रीय संरक्षित संस्मारक तक मोटर चालित वाहनों द्वारा पास/सटी हुई मुख्य सड़क, जिसे काज़मैन रोड के नाम से जाना जाता है, के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो उत्तर-पश्चिम में पड़ती है। यह मुख्य मार्ग संस्मारक को शहर से जोड़ता है और एक महत्वपूर्ण परिवहन संयोजन के रूप में कार्य करता है।

5.2.9 अवसंरचनात्मक सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि):

संस्मारक के संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इन्हें उन्नत करने की आवश्यकता है। संस्मारक के आगंतुकों के लिए कोई निर्दिष्ट पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं कराया गया है।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र की प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

संभागीय नियोजन खण्ड, लखनऊ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ-52 द्वारा तैयार लखनऊ **महा योजना-2031**, के अनुसार, काज़मैन बिल्डिंग का स्थल जोन 13 के अंतर्गत आता है। विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजना अभी तक प्राधिकरण द्वारा तैयार नहीं की गई है। (**अनुलग्नक VI)**

अध्याय VI

संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

लखनऊ में **काज़ मैन बिल्डिंग** खासकर इस्लाम और शिया परंपरा के संदर्भ में ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों महत्व रखती हैं।

ऐतिहासिक महत्व: **काज़ मैन की बिल्डिंग** जिनमें रौज़ा-ए-काज़ मैन और मस्जिद-ए- कुफ़ा शामिल हैं, को ईरान के खुरासान में इमाम काज़िम और मोहम्मद तकी के मकबरे की सटीक प्रतिकृति कहा जाता है। इमाम काज़िम बारहवें शिया इस्लाम में सातवें इमाम थे। उन्हें अल-काज़िम (जिसका अर्थ है 'सहनशील') उपाधि से जाना जाता है, जो उनके धैर्य और सौम्य व्यवहार का प्रतीक है। नवाबों के शासन के तहत अवध के प्रारंभिक वर्षों में, शिया विद्वानों को संरक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती रही है। शिया आस्था की बढ़ती संख्या से अवध क्षेत्र में अज़ादारी अनुष्ठानों की शुरुआत और समृद्धि में योगदान हुआ है जिसमें रईसों और आम लोगों को तीर्थस्थल बनाने के लिए समान रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

काज़ मैन बिल्डिंग का निर्माण नवाब वाजिद अली शाह के शाही दरबार में एक हिंदू वज़ीर द्वारा उन्नीसवीं सदी के मध्य के आसपास किया गया था। ये वजीर बाद में ईरान के खुरासान में इमाम काज़िम और मोहम्मद तकी की कब्रों की यात्रा के बाद शिया धर्म में परिवर्तित हो गए। उन्हे 'शराफ-उद-दौला' की उपाधि मिली और बाद में वे गुलाम रज़ा खान के नाम से जाने गए।

इन तीर्थस्थलों का निर्माण धार्मिक समारोहों (मजलिस) करने के लिए और उन लोगों के लिए किया गया था जो मध्य पूर्व क्षेत्र में प्राचीन तीर्थस्थलों की यात्रा नहीं कर सकते थे।

वास्तुशिल्पीय महत्व: यह संस्मारक उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य के आस-पास बनाया गया था, इसकी वास्तुशिल्प विशेषताऐ काफी हद तक मुगल वास्तुकला शैली से मिलती-जुलती थी और फिर इनमें पारंपरिक सामग्री और तकनीकों का समावेश किया गया था। हालाँकि संस्मारक के डिज़ाइन में राजसी दोहरे गुंबद, मेहराबदार प्रवेश द्वार और संस्मारक के अंदर और आसपास खुला प्रांगण का प्रावधान कर ईरान में रौज़ा-ए-काज़मैन और इराक में मस्जिद-ए-कुफ़ा की प्रतिकृति मनाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी इससे इसके वास्तुशिल्पीय वैभव में इजाफा ही हुआ है।

पुरातात्विक महत्व: यह ध्यान देने वाली बात है कार्यस्थल पर अभी तक कोई ज्ञात पुरातात्विक अवशेष नहीं मिला है। हालाँकि, ऐसे कई पवित्र स्थल हैं जिन्हें रौज़ा के निकट टीलों वाले खुले क्षेत्रों के साथ देखा जा सकता है। उनकी उपस्थिति पुराने आवासीय परिवेश में महत्वपूर्ण वास्तुशिल्पीय और सांस्कृतिक प्रवाह को दर्शाती है।

6.2 संस्मारक की संवेदनशीलता (जैसे, विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव आदि):

संस्मारक लखनऊ के घनी आबादी वाले हिस्से में स्थित है। बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण का सीधा प्रभाव संस्मारक पर पड़ा है। संस्मारक के चारों ओर अतिक्रमण और घुसपैठ देखी जा सकती है। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में असुरक्षित विरासत स्थलों की कमजोर स्थिति जनसंख्या दबाव का स्पष्ट उदाहरण है।

6.3 संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

यह संस्मारक उच्च घनत्व वाली इमारतों की बडी तादाद के परिपेक्ष्य में घनी आबादी वाले इलाके में स्थित होने के कारण प्रतिषिद्ध क्षेत्र में सभी दिशाओं से आंशिक रूप से ही दिखाई देता है संस्मारक के आसपास की इमारतों तक कलेक्टर सड़कों या गली-मोहल्लों से पहुंचा जा सकता है।

विनियमित क्षेत्र का लेआउट स्वरूप में मूलभूत है, इसलिए विनियमित सीमा से संस्मारक दिखाई नहीं देता है।

काज़ मैन बिल्डिंग के संस्मारक से दृश्यता स्मारक की चारदीवारी के कारण ही कम प्रतीत होती है जो निकटवर्ती आवासीय भवनों से दृश्य संबंधों को स्थापित करती है जो ऊंचाई में जी+1 से अधिक हैं।

6.4 पहचान किये जाने वाले भू-उपयोग:

लखनऊ मास्टर प्लान 2031 के अनुसार भूमि उपयोग आवासीय स्वरूप का है और इसे **अनुलग्नक-V** में देखा जा सकता है।

6.5 संरक्षित संस्मारक के अलावा पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

संस्मारक के पास कोई ज्ञात पुरातात्विक विरासत का अवशेष मौजूद नहीं है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

जैसाकि पूर्व में कहा गया है कि यह संस्मारक लखनऊ के मुख्य भाग में विस्तारित शिया तीर्थ स्थलों का एक हिस्सा है। मुहर्रम की रस्में पूरे दो महीने और आठ दिन के शोक की अवधि तक चलती हैं। आशूरा के वार्षिक स्मरणोत्सव के दौरान, मुहर्रम वाले इस्लामी महीने के दसवें दिन, जो कर्बला की लड़ाई के चरमोत्कर्ष का प्रतीक है, इस पवित्र स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दौरान शिया मुसलमान इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को याद करने के लिए शोक अनुष्ठान करते हैं। कर्बला, मकबरा, रौज़ा और अन्य मुस्लिम तीर्थस्थलों सहित संबंधित संस्मारक सादतगंज, लखनऊ के सांस्कृतिक परिदृश्य को चिह्नित करते हैं।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा हैं और संस्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

संस्मारक घनी आबादी वाले आवासीय परिवेश में स्थित है; इसलिए उक्त सीमाओं के भीतर कोई विशिष्ट परिदृश्य विशेषता नहीं देखी गई है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग:

खेतों और निजी प्रांगणों के रूप में खुले स्थान प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। इस क्षेत्र का उपयोग कभी-कभी निजी समारोहों, जुलूसों और धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता है जबकि दैनिक आधार पर स्थानीय लोगों के लिए खेल के मैदान के रूप में इनका उपयोग होता है।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र के भीतर, देखी गई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ इस प्रकार थीं:

ज़रदोज़ी काम को पारंपरिक कला रूप के छोटे समूह प्रतिषिद्ध और विनियमित दोनों क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। छोटे से मध्यम आकार के एवं कामकाजी केंद्र चलाने वाले कारीगर मुस्लिम तीर्थस्थलों में और उसके आसपास पाए जा सकते हैं।

इस क्षेत्र में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुहर्रम सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण अनुष्ठानों और आयोजनों में, सबसे उल्लेखनीय में से एक पवित्र अलम का सबसे महत्वपूर्ण एक भव्य जुलूस है, जो महान श्रद्धा का प्रतीक है, यह अनुयायियों का आध्यात्मिक यात्रा पर मार्गदर्शन करता है, और इसमें भाग लेने वाले या देखने वाले सभी लोगों के लिए एक यादगार और प्रेरक अनुभव प्रदान करता है।

मुहर्रम के अलावा, स्थानीय रूप से आयोजित धार्मिक सभाओं को "तकरीर" कहा जाता है, जो क्षेत्र की स्थापना के बाद से एक पारंपरिक प्रथा रही है। इन सभाओं में देश भर के विभिन्न इस्लामी विद्वानों द्वारा उपदेश और धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं। इस प्रथा की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं और यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गतिविधि बनी हुई है, जो निवासियों और आगंतुकों के बीच एक समान रूप से एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती है। **अनुलग्नक-VII** देखे ।

6.10 संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज:

संस्मारक से दिखाई देने वाले क्षितिज में आम तौर पर विभिन्न ऊंचाई और कलात्मक विशेषता वाले आवास, धार्मिक संस्थान और खुले क्षेत्र शामिल हैं। प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र सभी दिशाओं में पारंपरिक कोठियों के साथ-साथ मकबरा, रौज़ा और मस्जिदों सहित ऐतिहासिक स्मारकों से घिरे हुए हैं। विनियमित क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से देखा जाने वाला क्षितिज आवासीय, मिश्रित उपयोग, वाणिज्यिक और संस्थागत विशेषता वाले पारंपरिक और आधुनिक निर्मित रूपों का मिश्रण है। **अनुलग्नक-VII** देखें।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

मस्जिद, मकबरा और रौज़ा जैसे आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों के अलावा, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर अधिकांश संरचनाओं का समय के साथ आधुनिकीकरण किया गया है। संरक्षित संस्मारक के पास स्थित निजी स्वामित्व वाले आवासीय घरों, अनाथालय और नजदीकी इलाकों में स्कूलों सहित कुछ इमारतें पारंपरिक वास्तुकला के उदाहरण हैं। **अनुलग्नक-VII** देखें ।

6.12 स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा, यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना:

प्राधिकरणों द्वारा अलग-अलग विनियमन क्षेत्रों की विस्तृत क्षेत्रीय विकास योजनाएं अभी तक तैयार नहीं की गई हैं। **अनुलग्नक-VI** देखें।

6.13 भवन संबंधी मानदंड:

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u> –

एएमएएसआर अधिनियम के अनुसार, केंद्रीय संरक्षित संस्मारक की अधिसूचित संरक्षित सीमा से 100 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

<u>मरम्मत और नवीनीकरण</u>:

आंतरिक परिवर्तन और अनुकूली पुन: उपयोग की आम तौर पर अनुमति दी जा सकती है, हालांकि, बाहरी परिवर्तन सक्षम प्राधिकारी से जांच और अनुमति के अधीन होंगे। इन परिवर्तनों में रेट्रोफिटिंग/नवीनीकरण शामिल हो सकता है जिसकी अनुमति तब दी जा सकती है जब इमारत संरचनात्मक रूप से कमजोर या असुरक्षित हो या जब यह किसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो और नवीकरण नितांत आवश्यक हो।

निर्मित/खुले स्थान संबंधों के साथ-साथ मूल भवन शब्दावली और भवन आयोजना का पालन किया जाना चाहिए। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति के अधीन इमारतों की सामान्य मरम्मत और रखरखाव की अनुमति दी जाएगी।

संरचनाओं की मरम्मत और नवीनीकरण आस-पास के क्षेत्रों की धरोहर विशेषताओं के साथ मेल-खाता और उसके अनुरूप होना चाहिए। नई अल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी), उच्च दाब लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि या ग्लेज़िंग जैसी नई क्लैडिंग सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

<u>पुनर्निर्माण</u> :

पुनर्निर्माण को एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 2(त) में परिभाषित किया गया है, विनियमित क्षेत्र में निर्माण की अनुमति एएमएएसआर अधिनियम, 1958 की धारा 20ग(2) और एएमएएसआर नियम,2011 के नियम 6(IV) और नियम 7 के अनुसार दी जाती है। प्राकृतिक आपदाओं से क्षति के मामले में, पुनर्निर्माण की अनुमति एएमएएसआर नियम, 2011 के नियम 16 के अनुसार दी जाती है। पुनर्निर्माण के मामले में पुरानी इमारत के प्रतिस्थापन के रूप में नई संरचना या इमारत को पहले से मौजूद संरचना के अनुसार उसी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सीमाओं का पालन करना होगा। अग्रभाग में असंगत सामग्री जैसे ग्लेज़िंग, मेटल क्लैडिंग, एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेशर लैमिनेट्स (एचपीएल), टाइल्स, लैमिनेट्स आदि के उपयोग की अनुमति नहीं है। नई संरचना आसपास के क्षेत्र के धरोहर स्वरूप के साथ मेल खाती और उसके अनुरूप होनी चाहिए।

<u>विनियमित क्षेत्र</u> -

क) **स्थल पर निर्माण की ऊंचाई**: नये विकास अथवा वर्तमान भवन में परिवर्धन की कुल ऊंचाई की सीमा **12.5 मीटर** (ममटी, पैरापेट अथवा छत पर बनी कोई अन्य सरंचनाओं सहित) से अधिक नही होगी। इस क्षेत्र में तलघर निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

ख) तलक्षेत्र: भूखंड के आकार और अनुमेय तलक्षेत्र अनुपात के अनुसार।

ग) **उपयोग:** भविष्य में कुछ व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग वाली गतिविधियों के साथ आवासीय स्वरूप को बनाये रखा जायेगा।

घ) **अग्रभाग डिजाइन:** संस्मारक की अपनी एक विशिष्ट वास्तुशिल्प खूबियां हैं और ये बड़े स्तर की संरचना को दर्शाती हैं, इसका प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों में आवासीय या छोटे पैमाने के निर्माण पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। इसलिए, नए निर्माण के अग्रभाग का डिज़ाइन न्यूनतम स्वरूप का होना चाहिए, ताकि यह स्मारक पर हावी न हो।

ड) **छत का डिज़ाइन**: समतल छत वाले अिभकल्प का पालन किया जाये।

च) **भवन निर्माण सामग्री:** निर्माण के लिए आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। हालाँकि, बाहरी अग्रभाग के लिए चिनाई और पत्थर की फिनिश का उपयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा सकता है लेकिन बाहरी अग्रभाग को एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल (एसीपी), हाई प्रेसर लैमिनेट्स (एचपीएल), लैमिनेट्स, टाइलिंग आदि जैसी सामग्रियों से नहीं ढका जाना चाहिए या ग्लेज़िंग की अनुमति नहीं होगी।

छ) **रंग:** बाहरी तटस्थ रंग का होगा जो स्मारक के सामंजस्य में उपयोग किया जाएगा जैसे कि बफ़ बलुआ पत्थर का रंग, बेज और अन्य मिट्टी के रंग जो स्मारक के साथ पूर्णत: बेमेल नही होते।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

(i) अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिए मौजूदा सीमा में असंगत परिवर्धन और परिवर्तन को रोकने के लिए कड़े उपाय किए जाने चाहिए।

(ii) लखनऊ में दरगाह हज़रत अब्बास और काज़मैन बिल्डिंग के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को संरक्षित करने के लिए एक नए धरोहर क्षेत्र का सीमांकन शुरू करने की सलाह दी जाती है जिसमें ये स्थल शामिल हो इसके अलावा, इस धरोहर क्षेत्र को औपचारिक रूप से लखनऊ मास्टर प्लान - 2031 में शामिल किया जाना चाहिए।

(iii) स्थल पर प्रामाणिक ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित वर्णनात्मक पट्टिकाएँ भी लगाई जा सकती हैं।

(iv) ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी संकेतक संस्मारक और उसके आसपास के विशेष स्वरूप के साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

(v) संकेतक इस प्रकार से लगाए गए हों कि उनसे ऐतिहासिक ताने-बाने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और न ही संस्मारक का ऐतिहासिक स्वरूप कम होना चाहिए।

(vi) धरोहर क्षेत्र के भीतर होर्डिंग, इश्तहार के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) किसी भी संरचनात्मक क्षति से बचाने के लिए संस्मारक का नियमित रखरखाव किया जाये।

(viii) प्रवेश द्वार से रास्तों के साथ-साथ जरूरी प्रकाश की व्यवस्था की जायेगी।

(ix) सड़क और प्रवेश द्वार के रास्ते के लेवल के अतंर को रैंप बनाकर दूर किये जाने की जरूरत है।

(x) चूंकि संस्मारक घने इलाके में स्थित है, इसलिए भीड़भाड़ से बचने के लिए पार्क और सवारी की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

7.2 अन्य सिफ़ारिशें

(i) धरोहर क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र और सीमाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार और कार्यान्वित किया जाता है में एकीकृत किया जा सकता है क्योंकि स्थानीय क्षेत्र योजना मास्टर प्लान के साथ-साथ विरासत नियमों के कार्यान्वयन के लिए एकल खिड़की ढांचा प्रदान करती है। शहरी डिज़ाइन दिशानिर्देशों के साथ लेआउट योजनाओं को स्थानीय क्षेत्र योजना स्तर पर भी शामिल किया जा सकता है।

(ii) व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

(iii) दिव्यांगों के लिए प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किए जाएंगे।

(iv) क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

(v) सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument **"The Kaz Main buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh"**, prepared by the Competent Authority in consultation with the Amity School of Architecture and Planning, Amity University, Lucknow Uttar Pradesh, were published on 29.09.2023, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20 E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monuments Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Heritage Bye-Laws for The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh

CHAPTER I

Preliminary

1.1 **Short title, extent and commencements:**

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2023 of Centrally Protected Monument - "**The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh Bye-laws 2023".**

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 **Definitions:**

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience: -

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes: -

(i) the remains of an ancient monument,

(ii) the site of an ancient monument,

(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and

(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:

(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and

(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:

Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected

monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made thereunder.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act*:*

The Heritage Bye-laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be, may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monuments The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh

3.1 Location and Setting of the Monument:

The location of the monument lies in the core area of old Lucknow and is situated in Mansoor Nagar, Lucknow. The geographical co-ordinates are as following:

Latitude: 26°51'18.92"N and **Longitude**: 80°53'45.49"E.

The monument is part of a larger cultural landscape of Shia pilgrimage dotted with Rouzas, Maqbaras, Imambaras and other historic structures placed in prohibited and regulated areas. Apart from the monuments, the glimpse of bygone era can be seen in the form of Old Kothis (private residences), Maidan (open areas used for play and processions), Baghs (gardens), schools and madrasas.

The monument is placed in densely populated residential area of the city. It can be accessed from Kaz Main road on the north and side road on west direction. The site consists of two main buildings including Rouza-e-Kaz Main and Masjid-e-Kufa along with boundary structure and gateways. The other two protected monuments namely, Dargah Hazrat Abbas and Karbala of Dianut-ud-Daula lie in close proximity of the Kaz Main buildings.

The nearest Airport to the monument is Chaudhary Charan Singh International airport which is 12 km away from the monument connecting to all the metro cities of India. The nearest Railway station is Charbagh Railway Station which is 5.6 km away from the monument.

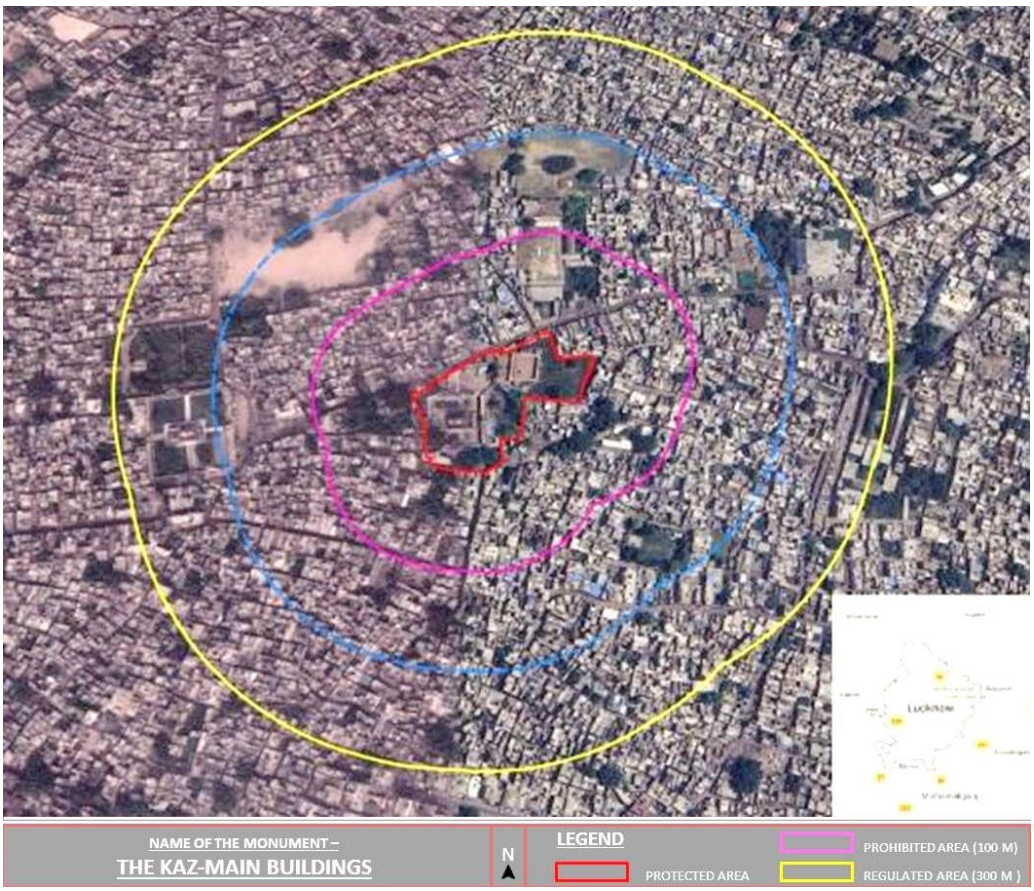

Figure 1: Google map showing the location of the Kaz Main Buildings, along with the Protected, Prohibited and Regulated area boundaries, Lucknow

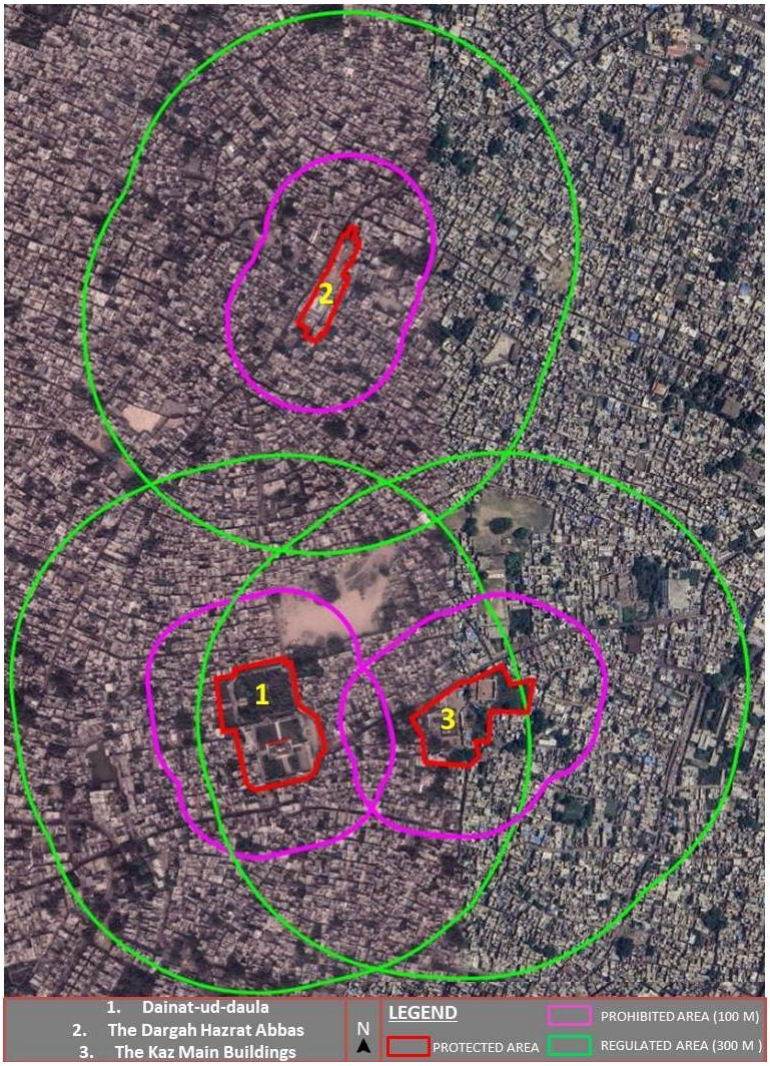

Figure 2: *The protected, prohibited and regulated boundaries of Dargah Hazrat Abbas and Karbala of Dianut- ud- Daula along with Kaz-Main Buildings, Lucknow*

3.2 Protected boundary of the Monument:

The protected boundaries of the Centrally Protected Monument – The Kaz Main Buildings, Lucknow may be seen in **Annexure-1**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The Gazette Notification of the Kaz Main Buildings, Lucknow may be seen in **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

Lucknow is the Azadari capital of India due to the abundance of Imambaras in the city. Every sacred Shia shrine has multiple replicas, which reflects the attempts of the Nawabs of Awadh (Oudh) to advance Azadari in the Indian subcontinent. Every member of Muhammad's family, collectively known as Ahlebait, has a Shabi-e-Rouza (replica of the original Shrines or Tombs) in Lucknow. The Ahlebait Shrines (Shabi-e-Rouza) in Lucknow were built not only by Nawabs but also by noblemen and people. These shrines were built for those who could not visit the ancient Shrines in the Middle East region. [1]

[1] Joffrey, F. (2022). Everyday Shi'ism in South Asia, by Karen G. Ruffle. *Religions of South Asia*.

In Lucknow, Kaz Main has two Rouzas (replicas). Karbala Agha Mir or Karbala Moata-mud-Daula, Narhi, Lucknow, is the first Rouza-e-Kazimain. Saiyed Mohammad Agha Meer, who was appointed Nawab Moata-mud-Daula Bahadur in 1818, erected it in 1815. Agha Mir was the Prime Minister of King Ghazi-ud-Din Haider. Following the Mutiny, Britishers confiscated Shia Muslims' possessions and sacred sites in exchange for their active support in the first war of independence in 1857. The East India Company illegally gained ownership of the monument in February 1856.

The Karbala Sharaf-ud-Daula (Kazimain Building) is Sahadat Ganj's second Rouza-e-Kaz Main. This Rouza was established by "Jagannath Agarwal," a Shia convert who was given the title "Sharf-Ud-Daula" by King Amjad Ali Shah. The building began under King Amjad Ali Shah (4th King of Awadh) and was completed in 1852 under King Wajid Ali Shah (5th and final King of Awadh).

Kaz Main is also the site of Muharram rites for the whole two-month and eight-day period of mourning. The famous 8th Rabi-ul-Awwal procession also ends at Kaz Main, when devotees execute an especially intensive Seenazani and Zanjeer ka Matam.

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials, etc.):

The monument comprises of two main buildings including Rouza-e-Kaz Main with boundary structure and gateways and Masjid-e- Kufa along with designated open areas.

Rouza-e-Kaz Main

The Rouza-e-Kaz Main is described as an exact replica of Imam Kazim's and Mohammed Taqui's tombs in Khorasan, Iran. The tomb is centrally located in a courtyard with towering twin domes. The courtyard is bordered on all sides by gateways and a succession of arched cells, and it is further contained by an outer boundary wall with a gateway known as the Sadar darwaza. The Rouza (tomb) is a rectangular structure with a Zari in the center on a raised platform that is ornamented with floral and geometrical motifs. The central chamber has passage for circumambulation. The central domes are covered in brass sheets. The minarets are placed at each corner.

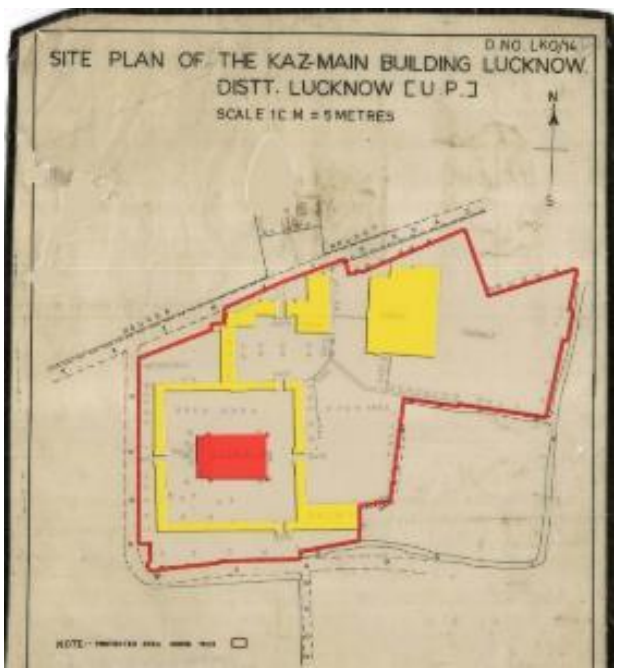

Map Code: A1
Location: The Kaz-main Buildings, Lucknow
Period: Nawab Amjed Ali Shah Rule, 1852
Function: Tomb
Ownership: ASI

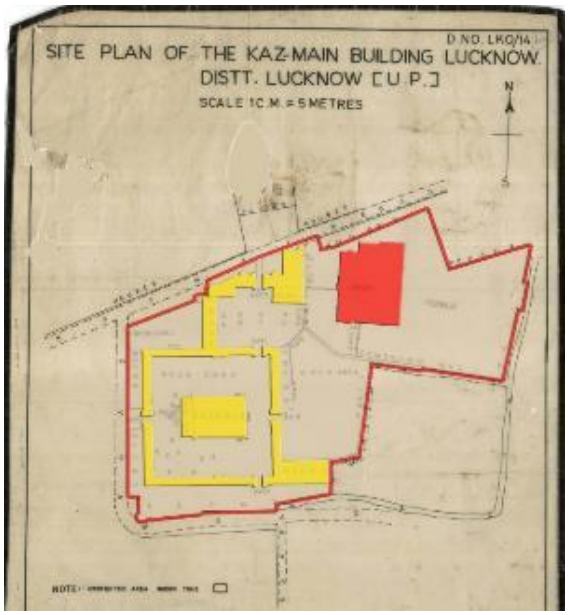

Map Code: A2
Location: The Kaz-main Buildings, Lucknow
Period: : Nawab Amjed Ali Shah Rule, 1852
Function: Mosque
Ownership: ASI

Masjid-e- Kufa

The Masjid-e- Kufa is said to be the replica of the Great Mosque of Kufa, located in Kufa, Iraq. The mosque is accessed through gateways placed on all sides. It consists of arched corridors and a well in central courtyard.

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of the Monument- condition assessment:

The maintenance and preservation of the Centrally Protected Monument (CPM) and its protected area is the exclusive domain of Archaeological Survey of India (ASI). The Photographs depicting the present condition of the protected monument is appended in **Annexure – VII**.

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

At present, there is no ticketing system is available at the monument. Hence, no recorded data regarding footfall at the monument can be stated. Although, based on locals and on-site observations daily footfall is limited to 100-200 visitors predominantly comprising locals. The number increases to 400-500 visitors on occasional religious gatherings (Majlis) at the monument. The footfall substantially surges at the time of Muharram (first and sacred month of Islamic calendar), especially on Ashura, the tenth day of Muharram.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

As per the Lucknow Master Plan 2031, **Section 8.11.11**, the Lucknow development area has been divided into 31 Regulation Zones. The site of Kaz Main Building, falls under the **Zone 13** of the Zonal Plan. These Regulation Zones are generally confined to the boundary of the main roads of the homogeneous area. The proposals for the detailed development plans of the individual regulation zones are yet to be prepared as per the Master Plan 2031. **(Annexure VI)**

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

The existing local building byelaws as per the Lucknow Master Plan 2031 prepared by Lucknow Development Authority (LDA) can be seen in **Annexure IV.**

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Survey plan of Kaz-main Buildings, Lucknow:

Survey Plan of the Kaz-main Buildings, Lucknow may be seen in **Annexure- I**.

The detailed information may be seen at **Annexure-III**.

5.2 Analysis of surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details and their salient features:

The prohibited area and regulated area for 'Kaz-main Buildings' are listed below:

Protected Boundary: 13350.579 Sq. Mts.

Prohibited Boundary: 83283.90049 Sq. Mts.

Regulated Boundary: 351124.2834 Sq. Mts.

Salient Features:

The monument contributes to the tangible and intangible cultural practices of Shia community. The cultural landscape including the monument along with other historic structures of Rouzas, Maqbaras, and Imambaras within and beyond the given boundaries of the monument mark a pilgrimage route during Moharram. Apart from that a dense residential settlement dotted with baghs/open spaces and public buildings further define the spatial characteristics.

5.2.2 Description of built-up area:

- North: Residential buildings are G and G+1 lies in Prohibited Area and up to G+4 in Regulated Area.
- North-West: Residential buildings and mixed-use buildings are G, G+1 to G+2 in Regulated Area.
- East: Public and commercial Building are G to G+4 lies in the East direction in both Prohibited and Regulated Area of the monument.
- South: Residential buildings are G, G+1 to G+2 lies in Prohibited and Regulated area of the Monument.
- West: There are other Karbala, Maqbara and low-rise residential buildings are G to G+2 lies in both Prohibited and Regulated Areas of the monument.

5.2.3 Description of green/open spaces:

The green and open areas are dotted in larger landscape of the area covered under Prohibited and Regulated boundary of the site. The open area named Amrod wali lies in closely packed residential area in between North to North-west of the monument along with open space at All India Shia Orphanage. In the North-west direction lies on open space, Buniyad Bagh.

There is a green and open space within the premises of Karbala Dayanut ud Daula in the west side. There are open courtyards within residential premises and community parks in the south and south-east direction. The eastern side consists open areas within institutions, commercial as well as residential premises.

5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc.:

The monument is accessed through Kaz-main road. It further connects with two major roads Tikait Rai Road and Tulsidas Marg. There is a little road infrastructure in the protected monument's southern and northern direction. The collector roads and narrower alleyways (known locally as "Gali") connect to sub-arterial roadways. These smaller roads and lanes largely serve limited movements inside the dense urban area.

5.2.5 Heights of buildings (Zone wise):

- East: The building height ranges from 7 m to 15 m.
- South-East: The building height ranges from 4 m to 9 m.
- West: The building height ranges from 4 m to 9 m.
- North-West: The building height ranges from 4 m to 9 m.
- North: The building height ranges from 7 m to 15 m.
- South: The building height ranges from 4 m to 9 m.

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/Regulated Area:

There is one protected monument namely, Karbala of Dianut-ud-Daula within the Regulated Area of the monument. Apart from that, there are heritage residences (Kothis) and schools within the prohibited and regulated area. There is another protected monument of Dargah Hazrat Abbas lies in close proximity but beyond the regulated boundary.

5.2.7 Public amenities:

The public amenities including toilets and drinking water facility are provided inside the Protected boundary. To accommodate visitors with disabilities the universal accessibility and barrier-free environment such as Ramps, tactile pathways, and accessible restrooms should be provided.

5.2.8 Access to monument:

The Kaz-main structures are conspicuously positioned in old Lucknow's heavily populated historic district of Muhalla Saadat Ganj. This centrally protected monument can be reached by motorized vehicles via the nearby/ abutting arterial road, known as Kaz-main Road, which runs north-west. This arterial route connects the monument to the city and acts as a vital transportation link.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

Facilities of water supply, storm water drainage, sewage, etc is available in the protected, prohibited and regulated areas of the monument but needs to be upgraded. There is no designated parking space provided for the visitors of the monument.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies:

Acording to the **Lucknow Maha Yojana – 2031**, prepared by Sambhagiya Niyojan Khand, Lucknow, Nagar evam Gram Niyojan Vibhaag, Uttar Pradesh and Lucknow Development Authority, Lucknow **52**,The site of Kaz Main Buildings falls under zone 13, as per the Lucknow Master Plan 2031. The detailed zonal development plan is not yet prepared by the Authority. **Annexure VI**

CHAPTER VI

Architectural, historical, and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical, and archaeological value:

The Kaz Main Buildings in Lucknow holds both historical and religious significance, particularly within the context of Islam and the Shia tradition.

Historical Value: The **Kaz Main Buildings** including Rouza-e -Kaz Main and Masjid-e- Kufa is said to be the exact replica of Imam Kazim's and Mohammed Taqui's tombs in Khorasan, Iran. Imam Kazim was the seventh imam in Twelver Shia Islam. He is known by the title al-Kazim (meaning 'forbearing'), a reference to his patience and mild demeanor. In the formative years of Awadh under the ruling of Nawabs, patronage and scholarships were extended to Shia scholars have been provided. The growing number of Shia faith contributes to the beginning and flourishment of Azadari rituals in Awadh region which encourages nobles and commoners alike to build shrines.

The **Kaz Main buildings** was constructed by a Hindu minister in a royal court of Nawab Wajid Ali Shah around mid-nineteenth century. The minister was later converted to Shia faith after his journey to Imam Kazim's and Mohammed Taqui's tombs in Khorasan, Iran. He earned the title of ‘Sharaf-ud- Daula’ and later known as Ghulam Raza Khan.

These shrines were built to perform religious ceremonies (Majlis) and for those who could not visit the ancient Shrines in the Middle East region.

Architectural Value: The monument is built around mid of nineteenth century, the architectural characteristics were largely borrowed from Mughal architecture style and then fused with traditional material and techniques. Although the design of the monument tries to replicate the Rouza-e-Kaz Main in Iran and Masjid-e- Kufa in Iraq, with majestic double domes, arched gateways, and open courtyard in and around the monument complements and add value to this architectural splendor.

Archaeological value: It can be noted that no known archaeological remains have been yet found on the site. However, there are many shrines that can be seen in the proximity of the Rouza along with open areas with mounds. Their presence indicates significant architectural and cultural inflow in the old residential setting.

6.2 Sensitivity of the monument (e.g., developmental pressure, urbanization, population pressure etc.):

The monument is placed in a densely populated part of old Lucknow. The growing population and urbanization had a direct impact on the monument. The encroachment and infiltration can be seen around the monument. The vulnerable condition of unprotected heritage sites across the prohibited and regulated areas are the evident examples of population pressure.

6.3 Visibility from the Protected Monument or Area and visibility from Regulated Area:

The monument is partially visible from all the directions in prohibited area due to its positioning within the densely populated locality characterized by high density building footprint. The buildings around the monument can be accessed through collector roads or alleyways. The layout of regulated area is organic in nature, hence no visibility of monument from regulated boundary.

Visibility from the monument of Kaz Main Buildings seems to be little due to the boundary wall of the monument itself which permits a visual connection to the adjacent residential buildings which are higher than G+1 in height.

6.4 Land-use to be identified:

The land-use as per the Lucknow Masterplan 2031 identifies as Residential and referred in **Annexure-V**.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

No known archaeological heritage remains is present near the monument.

6.6 Cultural landscapes:

As stated earlier that monument is a part of Shia pilgrimage sites expanded in a core part of Lucknow. Muharram rites carry on for the whole two-month and eight-day period of mourning. During the yearly commemoration of Ashura, the tenth day of the Islamic month of Muharram, which marks the climax of the Battle of Karbala, the shrine takes on added significance. During this time, Shia Muslims observe mourning rites to commemorate Imam Hussain and his companions' martyrdom. The related monuments including Karbalas, Maqbaras, Rouzas and other shrines mark the cultural landscape of Saadatganj, Lucknow.

6.7 Significant natural landscapes that form part of cultural landscape and also help in protecting monuments from environmental pollution:

The monument is placed in a densely packed residential setting; hence no distinct landscape feature is observed within the given boundaries.

6.8 Usage of open space and constructions:

The open spaces in the form of fields and private courtyards can be seen in both prohibited and regulated areas. The field are occasionally used for private ceremonies, processions, and religious ceremonies while as a playground for the locals on daily basis.

6.9 Traditional, historical, and cultural activities:

Within the surveyed area, traditional, historic, and cultural activities observed were as follows:

The small clusters of the traditional art form of Zardozi work can be seen in both prohibited and regulated areas. The craftsmen with small to medium setup and working stations can be found in and around the shrines.

Among the cultural events celebrated in this area, Muharram stands out as the most significant. Among the important rituals and events, one of the most remarkable is the grand procession led by the sacred Alam, a symbol of great reverence, guides the faithful on a spiritual journey, creating a memorable and moving experience for all who participate in or witness this momentous event.

In addition to Muharram, religious congregations locally referred to as "Taqreer," have been a traditional practice since the area's inception. These gatherings feature the delivery of sermons and religious teachings by various Islamic scholars from across the country. This practice has deep historical roots and continues to be a vital cultural and spiritual activity, fostering a sense of unity and community among the residents and visitors alike. Refer **Annexure-VII.**

6.10 Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas:

The sky line as visible from the monument generally includes residences with varied height and aesthetics, religious institutions, and open areas. The prohibited and regulated areas are punctuated with historic monuments including Maqbaras, Rouzas and Mosques along with traditional Kothis in all directions. The skyline as observed from various parts of the regulated area is a blend of traditional and modernized built forms with residential, mixed-use, commercial, and institutional typologies. Refer **Annexure-VII.**

6.11 Traditional Architecture:

Apart from spiritually significant sites such as Mosques, Maqbaras and Rouzas, most of the structures within the prohibited and regulated zone have been modernized over time. A few structures including privately owned residential homes, orphanage, and schools in the close neighborhoods are examples of traditional architecture near the protected monument. Refer **Annexure-VII.**

6.12 Developmental plan, as available, by the local authorities:

Detailed Zonal Development Plans of the individual regulation zones are yet to be prepared by the Authorities. Refer **Annexure-VI.**

6.13 Building related parameters:

Prohibited Area:

As per AMASR Act, no new construction shall be permissible within the 100 m radius from the notified protected boundary of the Centrally Protected Monument.

Repair and Renovation:

Internal changes and adaptive reuse may be generally allowed, however, external changes shall be subject to scrutiny and permission from the Competent Authority. Changes may include retrofitting/renovation that may be permitted when the building is structurally weak or unsafe or when it has been affected by any natural calamity and renovation is absolutely necessary.

Original building vocabulary and layout along with built/open relationships are to be adhered to. General repair and upkeep of buildings will be permitted, subject to permission from the Competent Authority.

The repair and renovation in structures should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding areas. New cladding materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling etc. or glazing will not be permitted.

Reconstruction:

Reconstruction is defined in Section 2(k) of AMASR Act, 1958, Permission for reconstruction in Regulated Area is accorded as per Section 20 C (2) of the AMASR Act, 1958 and Rule 6(IV) and Rule 7 of AMASR Rules, 2011. In case of damage due to natural calamities, the permission for reconstruction is accorded as per Rule 16 of the AMASR Rule, 2011. The new structure or building as a replacement to the older building in case of reconstruction shall follow the same horizontal and vertical limits as per the pre-existing structure. The use of

incongruous materials in the façade such as glazing, metal cladding, Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), tiles, laminates, etc. is not permitted. The new structure should be sympathetic and congruous with the heritage character of the surrounding area.

Regulated Area:

(a) **Height of the construction on the site:** The overall height limit for new development or additions to existing buildings shall not exceed **12.5 m** (inclusive of the parapet, mumty or any other services on the roof). Construction of basement shall not be permitted in the area.

(b) **Floor Area:** According to the plot size and the permissible Floor Area Ratio.

(c) **Usage:** The residential character with some commercial and mixed-use activities should be maintained in the future.

(d) **Façade Design:** The architectural characteristics of monument is iconic and depicts a large-scale structure, it has minimal effect on residential or small-scale constructions in prohibited and regulated areas. Hence, the facade design of new construction must be minimalistic in nature, so that, is does not overpower the monument.

(e) **Roof Design:** The flat roof design to be followed.

(f) **Building Material:** The modern building material may be used for construction. However, masonry and stone finishes to be used for external façade. Modern construction materials may be used but the external façade should not be clad with materials like Aluminium Composite Panels (ACP), High Pressure Laminates (HPL), laminates, tiling, etc or glazing will not be permitted.

(g) **Colour:** The exterior colour shall be of a neutral tone used in harmony with the monument such as buff sandstone colour, beige and other earth colours which do not create a harsh contrast with the monument.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site specific Recommendations:

(i) Stringent measures to be put in place to prevent incongruous additions and alterations to existing boundary to control encroachment.

(ii) To preserve the historical and cultural significance of The Kaz main Building and The Dargah Hazrat Abbas in Lucknow, it is advisable to initiate the demarcation of a new heritage zone that includes these landmarks. Additionally, this heritage zone should be formally incorporated into the Lucknow Master Plan - 2031.

(iii) Site may also have descriptive plaques based on authentic historical narrative.

(iv) All signs within the historic precinct should be compatible and harmonious with the special character of the monument and its surroundings.

(v) The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the monument.

(vi) No advertisements in the form of hoardings, bills within the heritage zone will be permitted.

(vii) Regular upkeep and maintenance of the monument to protect it from any structural damage.

(viii) Required illumination along the pathway from the entrance shall be provided.

(ix) The level difference between the road and entrance passage needs to be rectified by creating a ramp.

(x) Since the monument lies in a densely populated neighborhood therefore park and ride facility may be provided to avoid congestion.

7.2 Other Recommendations

(i) The jurisdiction and the boundaries of the heritage zone may be integrated into the local area plan that is prepared and implemented by the Lucknow Development Authority as the local area plan provides a single window framework for implementation of regulations of the Master plan as well as heritage regulations. Layout plans with urban design guidelines may also be included at the local area plan level.

(ii) Extensive public awareness programme may be conducted.

(iii) Provisions for differently able persons shall be provided as per prescribed standards.

(iv) The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.

(v) National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक

Annexure

अनुलग्नक-I

Annexure-I

काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश का संरक्षित, प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्षेत्र

Site plan Showing Protected, Prohibited and Regulated Area of The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow , Uttar Pradesh

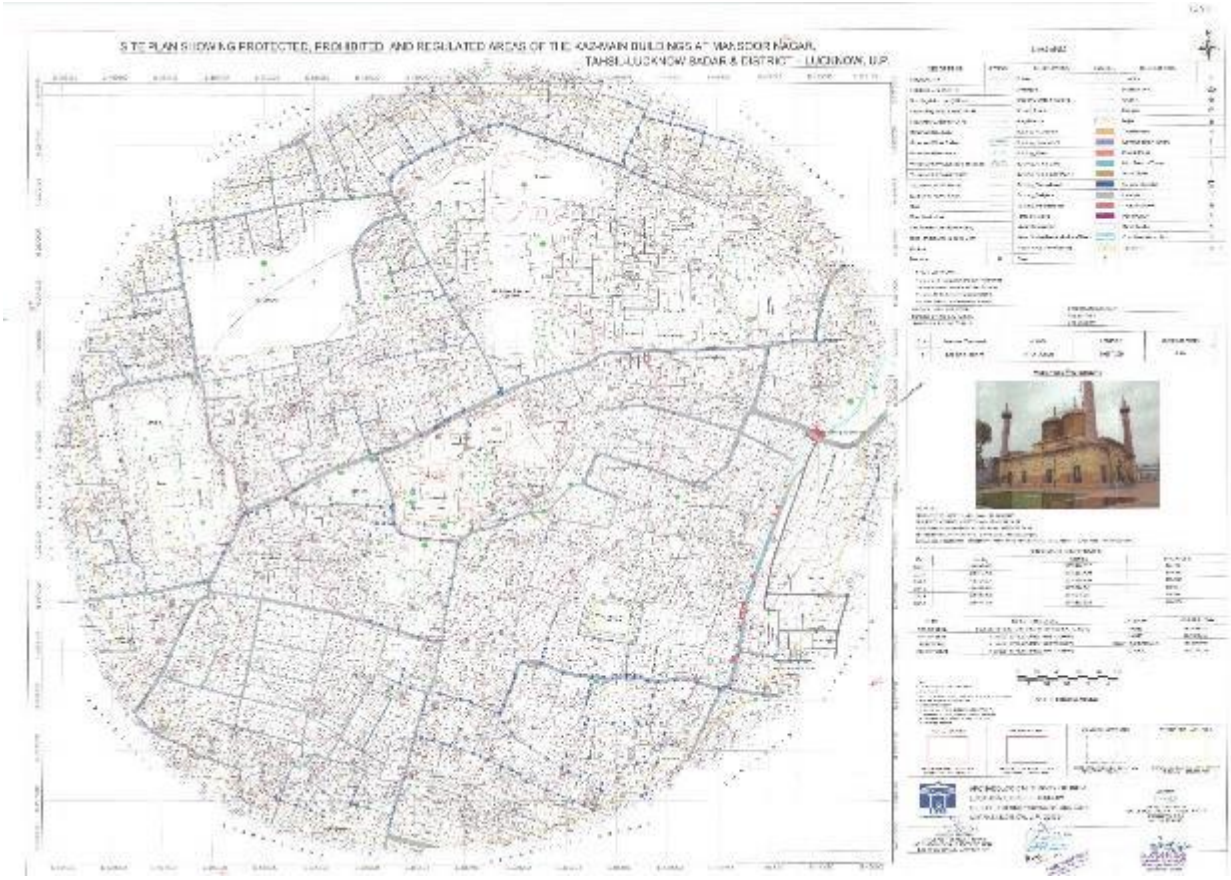

Map 1: Site Plan Showing Protected, Prohibited and Regulated Area of The Kaz-main Buildings, Lucknow

अनुलग्नक-II
Annexure-II

काज़मैन बिल्डिंग, मंसूर नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की अधिसूचना

Notification of The Kaz Main Buildings, Mansoor Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh

Original Notification
मूल अधिसूचना

F-61

PUBLIC WORKS DEPARTMENT.
BUILDINGS AND ROADS BRANCH.

Dated Naini Tal, the 31st August 1910.

No. 1530 -M/367.- In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 898-M/367, dated the 3rd May 1910, published at page 416, Part I, of the United Provinces Gazette of 7th May 1910, declaring the Kaz Main buildings situated in city Lucknow, tahsil Lucknow, in the Lucknow district, as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut.-Govr., United Provinces

C.E.V. GOUMENT,

Secretary to Government, United Provinces.

अनुलग्नक-II
Annexure-II

मूल अधिसूचना की टंकित प्रति
Typed Copy of Original Notification

Public Works Department
Buildings and Roads RBANCH

Dated Naini Tal, the 31st August, 1910.

No. 1530-M/367.-In exercise of the powers conferred by section 3(3) of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (VII of 1904), His Honour the Lieutenant-Governor of the United Provinces of Agra and Oudh is pleased to confirm this department notification no. 898-M/367, dated the 3rd May, 1910, published at page 416, Part I, of the United Provinces Gazette of 7th May 1910, declaring the Kaz Main buildings situated in city Lucknow, tahsil Lucknow, in the Lucknow district, as protected under the said Act.

By order of the Hon'ble the Lieut.- Govr., United Provinces,

C. E. V. GOUMENT,
Secretary to Government, United Provinces.

अनुलग्नक-III
ANNEXURE – III

काज़ मैन बिल्डिंग की योजना दर्शाने वाला एएसआई का अभिलेखीय दस्तावेज़
Archival document of ASI showing the plan of The Kaz Main Buildings

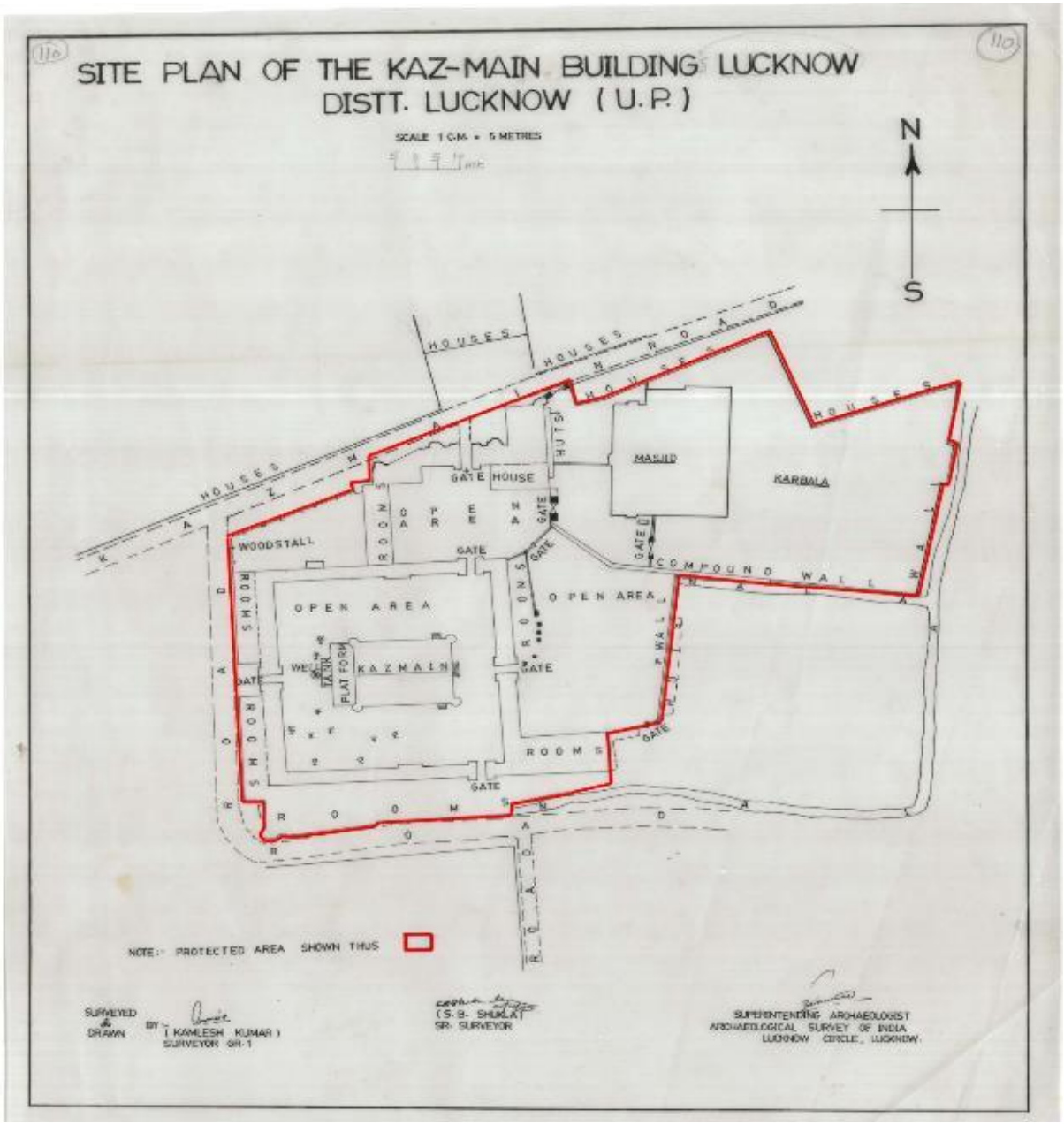

अनुलग्नक – IV
ANNEXURE – IV

उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के स्थानीय निकाय दिशानिर्देश

1. नए निर्माण के लिए विनियमित क्षेत्र के साथ अनुमेय भू-आच्छादन, एफएआर/एफएसआई और ऊंचाई, खाली जगह

निर्माण के सामान्य नियम विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के विरूद्ध विकास खंड 1.1.2 के अनुसार सभी विकास योजनाओं के लिए लागू होंगे जो उत्तर प्रदेश विकास नियोजन, 2008 के खंड 1.1.1 में उल्लिखित हैं। भूमि उपयोग योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों में अधिकतम तीन मंजिलों का निर्माण अनुमन्य होगा जहां अधिकतम अनुमेय ऊंचाई स्टिल्ट के साथ 12.5 मीटर और स्टिल्ट के बिना 10.5 मीटर है। खाली जगह इस प्रकार होगी:-

विनिर्देश	प्लॉट का क्षेत्र (वर्ग मीटर)	सामने का मार्जिन	पीछे का मार्जिन	साइड 1 मार्जिन	साइड 2 मार्जिन	एफएआर
पंक्ति आवास	50 तक	1.0	-	-	-	2.00
	50 से 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	10 से 150	2.0	2	-	-	1.75
	15 से 300	3.0	3	-	-	1.75
सेमी डिटेच्ड	300 से 500	4.5	4.5	3	-	1.50
डिटेच्ड	500 से 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 से 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 से 2000	9.0	6	6	6	1.25

आवासीय फ्लैट के लिए निर्मित/नए/अविकसित क्षेत्र के अनुसार भू आच्छादन और एफएआर

विवरण	आवासीय फ्लैट का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	भू आच्छादन (प्रतिशत में)	एफएआर
निर्मित क्षेत्र	100 तक	75	2.00
	101 से 300	65	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25
विशिष्ट	**आवासीय फ्लैट का क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**भू आच्छादन (प्रतिशत में)**	**एफएआर**
नया/अविकसित क्षेत्र	100 तक	65	2.00
	101 से 300	60	1.75
	301 से 500	55	1.50
	501 से 2000	45	1.25

12.5 मीटर से 15 मीटर की. ऊंचाई के लिए वाणिज्यिक/सरकारी/संस्थागत/सामुदायिक/सम्मेलन कक्ष /सार्वजनिक सुविधाओं के लिए खाली जगह:

भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	खाली जगह (मीटर में)			
	सामने	पीछे	साइड 1	साइड 2
200 तक	3.0	3.0	-	-

(वाणिज्यिक को छोडकर)				
201 से 500 (वाणिज्यिक सहित)	4.5	3.0	3.0	3.0
501 से अधिक (वाणिज्यिक सहित)	6.0	3.0	3.0	3.0

वाणिज्यिक/सरकारी/सामुदायिक/सम्मेलन कक्ष के लिए तीन मंजिल तक या 12.5 मीटर ऊंचाई तक के लिए खाली जगह ऊपर उल्लिखित के समान होगी, लेकिन संस्थागत/सार्वजनिक सुविधाओं (शैक्षिक भवन को छोड़कर) के लिए खाली जगह इस प्रकार होगी:

भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में	**खाली जगह (मीटर में)**			
	सामने	**पीछे**	**साइड 1**	**साइड 2**
200 तक	3	3	-	-
500 – 201	6	3	3	-
2000 – 500	9	3	3	3
2001 से 4000 तक	9	4	3	3
40001 से 30000	9	6	4.5	4.5
30001 से ऊपर	15	9	9	9

12.5 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली इमारतों के लिए खाली जगह

भवन की ऊंचाई (मीटर में)	**भवन के चारों ओर छोडी गई खाली जगह**
12.5 से 15	5.0
15 से 18	6.0
18 से 21	7.0
21 से 24	8.0
24 से 27	9.0
27 से 30	10.0
30 से 35	11.0
35 से 40	12.0
40 से 45	13.0
45 से 50	14.0
50 से ऊपर	15.0

बेसमेंट विशिष्टताएँ:

(क) बेसमेंट का उपयोग आवासीय उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में शौचालय या रसोईघर बनाने की अनुमति नहीं है।

(ख) आंतरिक आंगन और शाफ्ट के नीचे बेसमेंट की अनुमति है।

(ग) बेसमेंट का निर्माण संरचना के मूल्यांकन के बाद ही किया जायेगा।

(घ) पड़ोसी संपत्ति उस भवन संपत्ति से कम से कम 2 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए जहां बेसमेंट का निर्माण किया जाना है।

विभिन्न प्रकार के भवनों के लिए बेसमेंट का निर्माण तदनुसार होना चाहिए:

क्रमांक	**भूमि क्षेत्र (वर्गमीटर में)**	**भूमि-उपयोग का प्रकार**	**बेसमेंट के लिए प्रावधान**
.1	100 तक	2.आवासीय/अन्य गैर-	

		वाणिज्यिक अनुमति नहीं	
		3.सरकारी और वाणिज्यिक	50 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमति है
.2	100 से 2000	1. आवासीय	20 प्रतिशत भू आच्छादन की अनुमति है
		2. गैर-आवासीय	अनुमत भू आच्छादन के समान
3	2000 से ऊपर	1. ग्रुप हाउसिंग/वाणिज्यिक और अन्य बहुमंजिला इमारतें	4000 वर्गमीटर भूमि क्षेत्रफल में डबल बेसमेंट की अनुमति है और 4000 वर्गमीटर से अधिक भूमि क्षेत्रफल के लिए 3 बेसमेंट की अनुमति है
		2. उद्योग	भू आच्छादन के समान और बेसमेंट का 50 प्रतिशत हिस्सा एफएआर में गिना जाएगा
		3. सार्वजनिक सुविधाएं	डबल बेसमेंट

पार्किंग सुविधा:

1. पार्किंग की व्यवस्था आवासीय स्थल क्षेत्र के अनुसार दी जाएगी:

आवासीय इकाई का निर्माण क्षेत्र	प्रत्येक आवासीय इकाई के लिए कार पार्किंग
100 वर्गमीटर तक	1.00
150-100 वर्गमीटर	1.25
150 वर्गमीटर से अधिक	1.50

2. सामान्य कार पार्किंग के लिए आवश्यक परिसंचरण क्षेत्र
   - I. खुले क्षेत्र में पार्किंग - 23 वर्गमीटर
   - II. कवर्ड पार्किंग - 28 वर्गमीटर
   - III. बेसमेंट में पार्किंग - 32 वर्गमीटर

अन्य भूमि उपयोग के लिए भू आच्छादन और एफएआर:

क्रम सं.	भूमि उपयोग	भू आच्छादन प्रतिशत में	एफएआर
1.	भूखंड वाले आवास		
क	विकसित क्षेत्र के लिए		
	• 100 वर्गमीटर तक	**75**	**2.00**
	• 101-300 वर्गमीटर	**65**	**1.75**
	• 301-500 वर्गमीटर	**55**	**1.50**
	• 501-2000 वर्गमीटर	**45**	**1.25**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• 100 वर्गमीटर तक	**65**	**2.00**
	• 101-300 वर्गमीटर	**60**	**1.75**
	• 301-500 वर्गमीटर	**55**	**1.50**
	• 501-2000 वर्गमीटर	**45**	**1.25**

2.	व्यावसायिक		
क	विकसित क्षेत्र के लिए		
	• सुविधाजनक दुकान	**60**	**2.00**
	• पड़ोस की दुकान	**40**	**1.75**
	• खरीदारी के लिए बनी सड़क	**40**	**1.50**
	• जिला शॉपिंग सेंटर / उप केंद्रीय व्यापार जिला	**40**	**1.25**
	• केंद्रीय व्यावसायिक जिला	**50**	**1.50**
		40	**1.75**
		30	**2.00**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सुविधाजनक दुकान	**50**	**1.50**
	• पड़ोस/ सेक्टर शॉपिंग सेंटर	**40**	**1.75**
	• जिला शॉपिंग सेंटर/उप केंद्रीय व्यापार जिला	**35**	**2.00**
	• केंद्रीय व्यावसायिक जिला	**30**	**5.00**
3.	सरकारी		
	निर्मित क्षेत्र	**40**	**1.50**
	विकसित क्षेत्र	**30**	**2.00**
	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सरकारी एवं अर्धसरकारी	**35**	**2.00**
	• व्यावसायिक/वाणिज्यिक कार्यालय	**30**	**2.50**
4	शैक्षिक		
क	निर्मित/विकासशील क्षेत्र		
	• प्राइमरी या नर्सरी स्कूल	**35**	**0.8**
	• हाई स्कूल / इंटरमीडिएट / उच्च संस्थान	**30**	**1.00**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• नर्सरी स्कूल	**40**	**0.8**
	• प्राथमिक	**35**	**1.00**
	• हाई स्कूल/इंटरमीडिएट	**35**	**1.20**
	• डिग्री कॉलेज	**35**	**1.50**
	• तकनीकी/प्रबंधन संस्थान	**35**	**2.00**

5	सामुदायिक एवं संस्थागत सुविधाएँ		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र	**35**	**1.50**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र		
	• सामुदायिक भवन , विवाह भवन एवं धार्मिक भवन	**40**	**1.50**
	• अन्य संस्थान	**30**	**2.00**
6	होटल		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	3 स्टार तक	**40**	**1.50**
	5 स्टार और उससे ऊपर	**30**	**2.50**
7	अस्पताल		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र		
	• क्लिनिक/डिस्पेंसरी	**35**	**1.5**
	• 50 बिस्तरों वाला नर्सिंग होम	**35**	**1.5**
	• 50-100 बिस्तरों वाला अस्पताल	**35**	**1.5**
	• 100 एवं अधिक बिस्तरों वाला अस्पताल	**30**	**2.5**
8	**खुला क्षेत्र**		
क	निर्मित/विकसित क्षेत्र	**2.5**	**0.025**
ख	नया/अविकसित क्षेत्र	**2.5**	**0.025**

2. खुले स्थान

उत्तर प्रदेश विकास नियोजन-2008 एवं 2011 के अनुसार खुले स्थान के मानकों का उल्लेख किया गया है।

(क) आवासीय भूमि-उपयोग: लेआउट योजना का 15 प्रतिशत हिस्सा टोट-लॉट, पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ा जाना है।

(ख) गैर-आवासीय भूमि-उपयोग: लेआउट योजना का 10 प्रतिशत हिस्सा टॉट-लॉट, पार्क और खेल के मैदान के रूप में खुली जगह के रूप में छोड़ा जाना है।

(ग) लैंडस्केप योजना:

I. सड़क की चौड़ाई 9 मीटर या 12 मीटर से कम होने पर सड़क के किनारे एक तरफ 10 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जाएंगे।

II. सड़क की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाये जायेंगे।

III. डिवाइडर, फुटपाथ आदि के बाद बची सड़क की जगह का उपयोग पौधे लगाने के लिए किया जाएगा।

(घ) व्यावसायिक योजना में 20 प्रतिशत खुली जगह हरियाली के लिए आरक्षित की जाएगी और प्रति हेक्टेयर 50 पेड़ लगाए जाएंगे।

(ड़) संस्थागत क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में 20 प्रतिशत खुला क्षेत्र हरियाली के लिए आरक्षित है जहां प्रति हेक्टेयर 25 पेड़ लगाए जाते हैं

नोट: उपरोक्त सभी धाराएं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अंतर्गत (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008) में उल्लिखित हैं। भवन के चारों ओर छोड़े गए खुले स्थान, सैटबैक उत्तर प्रदेश के लखनऊ मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुसार होंगे।

3. दिव्यांगों के लिए प्रावधान –

(क) स्मारक तक आसानी से पहुंचने के लिए बाधा मुक्त डिजाइन को शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) स्मारक के अंदर दृष्टि बाधित लोगों की सहायता के लिए ब्रेल ब्रोशर, ब्रेल साइन बोर्ड और स्पर्श मार्ग उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ग) गलियारे की न्यूनतम चौड़ाई 1.5 मीटर होनी चाहिए।

(घ) स्मारक को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए ढलान अनुपात 1:2 के रैंप उपलब्ध कराए जाएंगे।

(ड़) सभी ढलान वाली सतहों और रैंपों पर सहायता के लिए रेलिंग प्रदान की जाएगी।

ANNEXURE – IV

LOCAL BODIES GUIDELINES OF THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT ACT-1973.

1. Permissible Ground Coverage, FAR/FSI and heights with the Regulated Area for new construction, Set Backs.

The General rules of construction shall be applicable for all development schemes as per development clause 1.1.2 against Development authority building construction and development sub method-2008 that is mentioned in clause 1.1.1 of Uttar Pradesh Development plan, 2008. Under the Land-use plan, construction of maximum three floors will be permissible in residential buildings where maximum permissible height is 12.5 meters with the stilt and 10.5 meters without stilt. Set-back will be as follows: -

Specification	Plot Area (Sq. Mt.)	Front Margin	Rear Margin	Side1 Margin	Side2 Margin	FAR
Row Housing	Up to 50 1.0	1.0	-	-	-	2.00
	50 to 100	1.5	1.5	-	-	2.00
	100 to 150	2.0	2	-	-	1.75
	150 to 300	3.0	3	-	-	1.75
Semi Detached	300 to 500	4.5	4.5	3	-	1.50
Detached	500 to 1000	6.0	6	3	1.5	1.25
	1000 to 1500	9.0	6	4.5	3	1.25
	1500 to 2000	9.0	6	6	6	1.25

Ground coverage and FAR as per constructed/new/undeveloped area for residential flat.

Particular	Residential flat area in Sqm.	Ground Cover in percent (%)	FAR
Constructed Area	Up to 100	75	2.00
	101 to 300	65	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25
Particular	**Residential flat area in Sqm.**	**Ground Cover in percent (%)**	**FAR**
New/Undeveloped Area	Up to 100	65	2.00
	101 to 300	60	1.75
	301 to 500	55	1.50
	501 to 2000	45	1.25

Setback for Commercial/Official/Institutional/Community/Conference Hall/Public amenities, for 12.5 m to 15m height:

Area of Land in Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side 1	Side 2
Up to 200 (Except Commercial)	3.0	3.0	-	-
201 – 500 (Including Commercial)	4.5	3.0	3.0	3.0
More than 501(Including Commercial)	6.0	3.0	3.0	3.0

Setback for Commercial/Official/Community/Conference Hall up to three floor or upto12.5m height will be the same as above mentioned but for the Institutional/Public amenities (except educational building) the setback will be as follows:

Area of Land In Sqm.	Set Back (In Meters)			
	Front	Rear	Side 1	Side 2
Up to 200	3	3	-	-
201 – 500	6	3	3	-
500 – 2000	9	3	3	3
2001 to 4000	9	4	3	3
40001 to 30000	9	6	4.5	4.5
Above 30001	15	9	9	9

Setback for buildings having height more than 12.5m.

Height of Building (Meter)	Setback left around the building
12.5 to 15	5.0
15 to 18	6.0
18 to 21	7.0
21 to 24	8.0
24 to 27	9.0
27 to 30	10.0
30 to 35	11.0
35 to 40	12.0
40 to 45	13.0
45 to 50	14.0
Above 50	15.0

Basement Specifications:

(a) Basement shall not be used for residential purposes. No toilet or kitchen is allowed to be constructed in the basement.

(b) The basement is permissible below the inner courtyard and shaft.

(c) The construction of basement will be done only after evaluation of the structure.

(d) The neighbouring property should be at a minimum distance of 2m from the building property where basement has to be constructed.

For different type of buildings, the construction of basement should be accordingly:

S No.	Land area (in Sqm)	Type of Land-use	Provision for Basement
1.	Upto 100	2. Residential/other non - commercial Not Permissible	
		3. Official and commercial	50 percent ground coverage is permissible
2.	100 to 2000	1. Residential	20 percent ground coverage is permissible
		2. Non - Residential	Same as permissible ground coverage

3	Above 2000	4. Group Housing/ Commercial and other multi storey buildings	Double basement are allowed in 4000 Sqm. area of land and for land more than 4000 Sqm. area 3 basement are allowed
		5. Industry	Same as ground coverage and 50 percent of the basement will be counted in F.A.R.
		6. Public Amenities	Double basement

Parking Facility:

1. The provision of parking will be given according to the residential site area:

Construction area of residential unit	Car Parking for each residential unit
Upto 100 Sqm.	1.00
100-150 Sqm.	1.25
Above 150 Sqm.	1.50

2. Circulation area required for common car parking.

   I. Parking in open area – 23 Sqm.
   II. Covered parking – 28 Sqm.
   III. Parking in basement – 32 Sqm.

Ground coverage and FAR for other Land-use:

S no.	Land Use	Ground Coverage in %	F.A.R
1.	Plotted residential		
A	For Developed Area		
	• Upto 100 Sqm	**75**	**2.00**
	• 101-300 Sqm	**65**	**1.75**
	• 301-500 Sqm	**55**	**1.50**
	• 501-2000 Sqm	**45**	**1.25**
B	New /Undeveloped area		
	• Upto 100 Sqm	**65**	**2.00**
	• 101-300 Sqm	**60**	**1.75**
	• 301-500 Sqm	**55**	**1.50**
	• 501-2000 Sqm	**45**	**1.25**
2.	Commercial		
A	For Developed Area		
	• Convenient Shop	**60**	**2.00**
	• Neighbourhood shop	**40**	**1.75**
	• Shopping street	**40**	**1.50**
	• District shopping center/	**40**	**1.25**

	Sub Central Business District		
	• Central Business District	**50**	**1.50**
		40	**1.75**
		30	**2.00**
B	New / undeveloped Area		
	• Convenient shop	**50**	**1.50**
	• Neighbourhood/ Sector shopping center	**40**	**1.75**
	• District shopping center/ Sub Central business district	**35**	**2.00**
	• Central Business District	**30**	**5.00**
3	Official		
	Constructed Area	**40**	**1.50**
	Developed Area	**30**	**2.00**
	New/Underdeveloped area		
	• Government & Semi government	**35**	**2.00**
	• Professional /Commercial office	**30**	**2.50**
4	Educational		
A	Constructed / Developing area		
	• Primary or Nursery school	**35**	**0.8**
	• High school / Intermediate / Higher institutes	**30**	**1.00**
B	New / Undeveloped area		
	• Nursery school	**40**	**0.8**
	• Primary	**35**	**1.00**
	• High school / Intermediate	**35**	**1.20**
	• Degree college	**35**	**1.50**
	• Technical / Management institute	**35**	**2.00**
5	Community and Institutional facilities		
A	Constructed / Developed area	**35**	**1.50**
B	New / Underdeveloped area		
	• Community hall, marriage hall & Religious building	**40**	**1.50**
	• Other Institutes	**30**	**2.00**
6	Hotel		
A	Constructed / Developed area		
	Till 3 star	**40**	**1.50**
	5 star and above	**30**	**2.50**
7	Hospital		
A	Constructed / Developed area		
	• Clinic/ Dispensary	**35**	**1.5**

	• 50 bedded Nursing home	**35**	**1.5**
	• 50-100 bedded Hospital	**35**	**1.5**
	• 100 & more bedded hospital	**30**	**2.5**
8	**Open Area**		
A	Constructed / Developed area	**2.5**	**0.025**
B	New / Underdeveloped area	**2.5**	**0.025**

2. Open spaces

Open spaced standards mentioned as per Uttar Pradesh Development Plan-2008 and 2011

(a) Residential land-use: 15 percent of layout plan is to be left as open space as Tot-Lots, parks and play grounds.
(b) Non-Residential land-use: 10 percent of layout plan is to be left as open space as Tot-Lots, parks and play grounds.

c) Landscape Plan:

I. The trees will be planted at distance of 10m on one side along the road when the road width is 9m or less than 12m.
II. The trees will be planted on both sides along the road when the road width is more than 12m.
III. The area of the road left after divider, footpath etc. will be used to plant trees.

(d) In commercial planning, 20 percent of open space will be reserved for greenery and 50 trees will be planted per hectare.
(e) In the areas like institutional area, 20 percent of open area is reserved for greenery where 25 trees are planted per hectare.

Note: - • All the above clauses are mentioned in (Uttar Pradesh Development Authority Building Construction and Development sub method-2008) under the Uttar Pradesh Municipal planning and Development Act -1973. • The open spaces left around the building, setbacks, shall be as per the Lucknow Master Plan/Zonal Plan of Uttar Pradesh.

3. Provision for differently-abled people –

(a) Barrier free design for the ease of accessibility of the monument should be incorporated.

(b) Braille brochures, Braille signboards and tactile pathways to be provided to assist the visually impaired inside the monument.

(c) The minimum width of the corridor should be 1.5m.

(d) Ramps of slope ratio 1:2 to be provided to make the monument accessible to the physically challenged.

(e) Railing for assistance to be provided at all sloping surfaces and ramps.

अनुलग्नक- V
ANNEXURE – V

लखनऊ मास्टर प्लान-2031
Lucknow Master Plan-2031

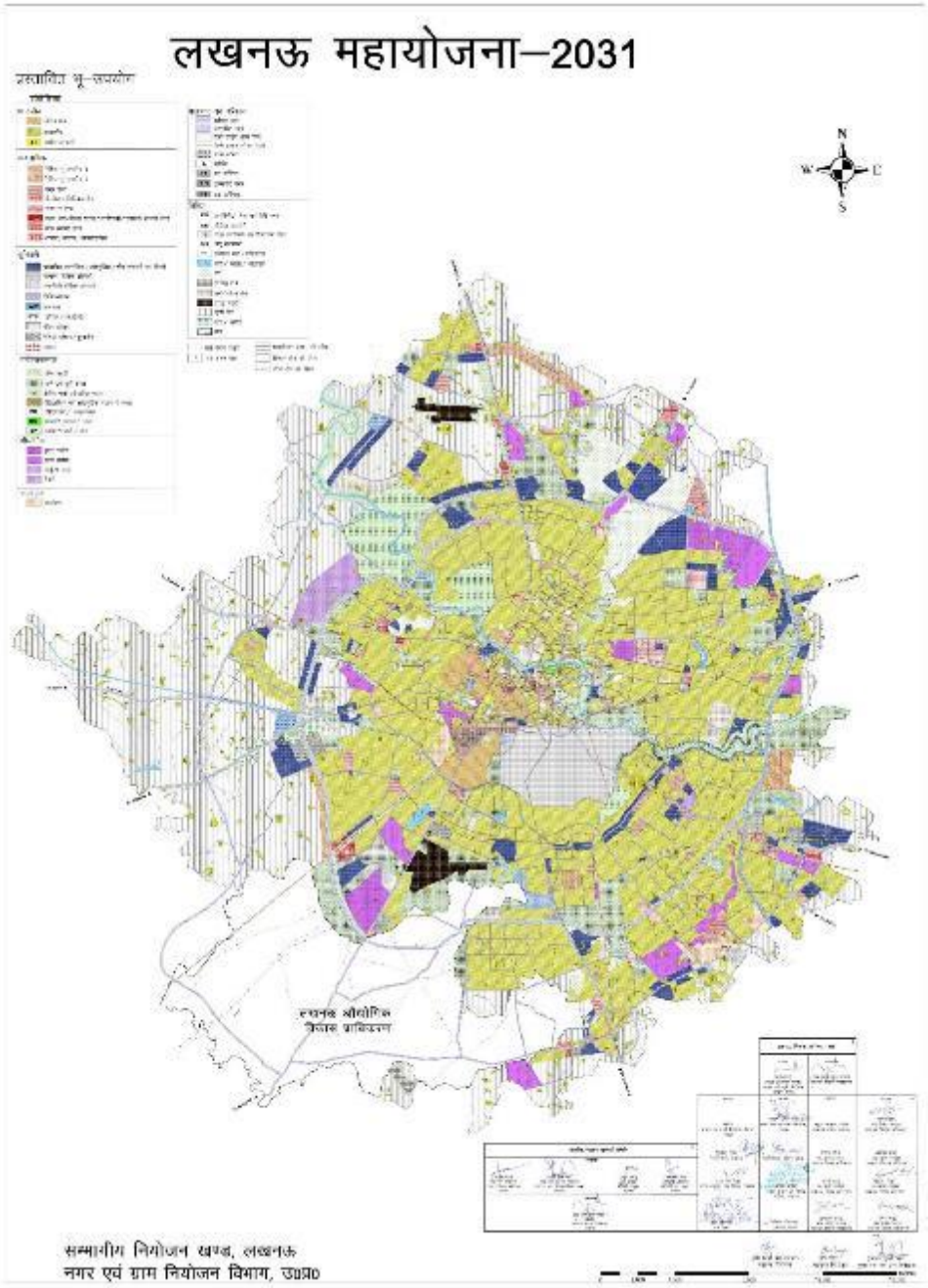

अनुलग्नक- VI

ANNEXURE –VI

लखनऊ मास्टर योजना-2031

Lucknow Master Plan -2031

मानचित्र संख्या 8.10 नियोजन–खण्ड

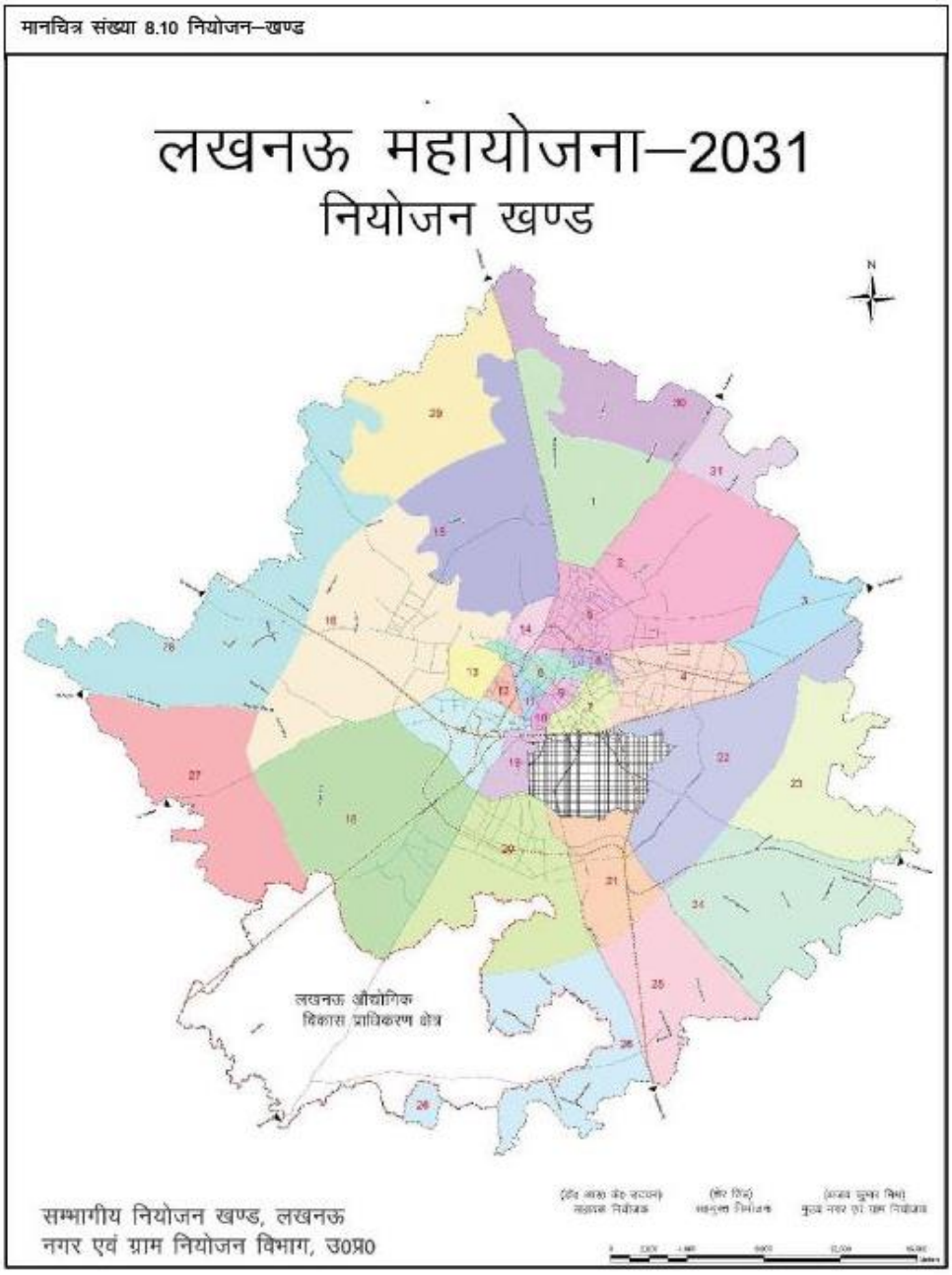

अनुलग्नक- VII
ANNEXURE –VII

संस्मारक और उसके आस-पास के क्षेत्र के चित्र
Images of The Monument and its Surrounding

Fig 1. Rouza-e-Kaz Main and its architectural features
चित्र 1. रोजा-ए-काज मैन और इसकी वास्तुशिल्पीय विशेषताऐं

Fig 2. The boundary structure around Rouza-e-Kaz Main
चित्र 2. रोजा-ए-काज मैन के आस-पास चारदीवारी में सरंचना

Fig 3. View of Masjid-e- Kufa and Rouza-e-Kaz Main from Masjid
चित्र 3: मस्जिद से मस्जिद-ए-कुफा और रोजा-ए-काज मैन का दृश्य

Fig 4. The Kaz Main road along with open and residential settlement in north direction
चित्र 4. उत्तरी दिशा में खुली और रिहायशी बस्ती के साथ काज मैन रोड

Fig 5. The mound and open space in north-west direction

चित्र 5. उत्तर पूर्व दिशा में टिला और खुला स्थान

Fig 6. The dense residential settlement in south direction

चित्र 6. दक्षिण दिशा में घनी आवासीय बस्ती

Fig 7. Kothi Agha Abu Khan ka hatta in south-east direction

चित्र 7. दक्षिण-पूर्व दिशा में कोठी आगंहा अबु खान का हट्टा

Fig 8. The old heritage building in north direction

चित्र 8. उत्तर दिशा में पुरानी धरोहर बिल्डिंग

Fig 9. A ground currently used as orphanage in west direction

चित्र 9. पशिचम दिशा में वर्तमान में अन्नाथालय के रूप में प्रयोग की जा रही भूमि

Fig 10. Naala in south-east direction

चित्र 10. दक्षिण-पूर्व दिशा में नाला

Fig 11. The old school in traditional style in south direction
चित्र 11. दक्षिण दिशा में परंपरागत शैली में पुराना स्कूल

Fig 12. A dilapidated heritage structure along with protected monument of Karbala of Dainut-ud-Daula in west direction
चित्र 12 पश्चिम दिशा में दनौत-उद-दौला करबला संरक्षित संस्मारक के साथ खंडित धरोहर संरचना

Fig 13. A dilapidated heritage structure along with protected monument of Karbala of Dainut-ud Daula.in west direction
चित्र 13. पश्चिम दिशा में दनौत-उद-दौला करबला संरक्षित संस्मारक के साथ खंडित धरोहर संरचना